पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

साप्ताहिक

समय माया

www.samaymaya.com

पंजीयन क्रमांक RNI-MP\HIN\2006/20685

प्रधान संपादक-अजमेरा एस.पी.कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

cell : 9300755803-9425125569
Phone Fax : 91-731-2530859
Websites : www.samaymaya.com
www.geocities.com/samaymaya/march09.pdf
www.geocities.com/corruption2india/corruptindia.html
www.geocities.com/corruption2india/corruptMP.html
E-mail : mwc@indiatimes.com
: linkdage@hotmail.com,
: linkadage@indiatimes.com

(c) all copyrights reserved with chief editor,do not publish any matter without prior permission.

वर्ष 5 अंक 13 | इंदौर, सोमवार 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2010 तक | पृष्ठ 8 मूल्य रु. 2/-

2 कहां से आती है, ३० से ६० ट्रक लकड़ी टिंबर मार्केट

3 पुलिस पकड़े नकली घी, खा.नि. करें महीना वसूली

4 टोल टैक्स वसूली के बाद भी स्तरहीन सड़कें

5 निजी कं. से बिजली खरीदी, अरबों की कमीशनखोरी

6 कोई भी शासकीय विभाग नहीं देना चाहता मूल निवासी व जाति प्रमाण पत्र की कापी

7 सपनि बंद करके, सारे डकैत खुश, जनता परेशान

बहुराष्ट्रीय और वि.स्वा.सं. की निगाहों में

भारतीय जानवरों से भी बदतर

पूरे राष्ट्र में हो रहा औषधि परीक्षण निजी व शास. संस्थानों में ०५ से मूर्ख हैं, बहुराष्ट्रीय कं. जो भारतीय भ्रष्ट, निकम्मे, डॉक्टरों पर विश्वास करती है

भारत की केन्द्र सरकार को कांग्रेसी डकैतों के गिरोह ने संभालते ही अपनी अरबों रु. की कमाई के लिये हर दांव खेलना शुरू कर दिया था, सोनिया यूरोपियन एजेन्ट अच्छा तो यह हुआ जो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई वरना पूरा शासन अमेरिका और ब्रिटेन ही चलाते प्रत्यक्ष रुप से, वैसे अभी भी अमेरिका का और यूरोप ही इस राष्ट्र को अप्रत्यक्ष रुप से अपनी एजेन्ट सोनिया और उसके पिट्ठू मनमोहन के माध्यम से गुलामों को वैसे ही हांक रहे हैं जैसा वो चाहते हैं।

अमेरिका उसकी धूर्त जालसाज संस्था संयुक्त राष्ट्र बनाम संयुक्त शैतान संघ उसकी आनुषांगिक संस्थायें विश्व स्वास्थ्य संगठन बनाम विश्व स्वास्थ्य के नाम परीक्षण और धन संधान संगठन और उसमें शामिल या उसको हांकने चलाने वाली बहुराष्ट्रीय औषधि कं. यथा जॉनसन एंड जॉनसन, ग्लेक्सो स्मिथ, क्लाइन, मोंटुफास्ट मैर्कस, मैर्कर्स एंड कं. जैसी अनेकों यूरोप के सभी देशों की जो अपनी दवाओं के निर्माण, परीक्षण, विपणन के लिए चंदा देकर इस वि.स्वा.सं. को विश्व की जनता का हितैषी बताकर मुफ्त भारत, अफ्रीकी, देशों व अन्य गरीब राष्ट्रों में मुफ्त दवाई बांटने का ढोंग रचकर औषधियों का परीक्षण करती हैं, फिर ऐसी दवा कंपनियों की दवाओं की ऊंची कीमत पर मोटी करने के लिये प्रसार माध्यमों का उपयोग पहले बीमारी की दहशत फैलाना फिर एड्स के नाम पर कंडोम, टेमीफ्लू, हेपेटाइटिस के नाम पर ए से लेकर 'जेड' तक की सीरिज का अरबों डालर का कारोबार करवाती हैं। पूरी दुनिया में जिसे 50 वर्षों से जनता पढ़ व देख रही हैं।

भारत में कांग्रेसी डकैतों को सत्ता मिलते ही अमेरिकियों ने अपनी युक्ति का भरपूर सदुपयोग करना शुरू कर दिया जिसमें परमाणु समझौता, जिसमें अरबों डालर का लाभ अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश कमायेंगे, जैसे कई राष्ट्र की जनता के लिये घातक समझौते शामिल है। उसी का हिस्सा था भारत में केन्द्र का तात्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अंबुमणि रामदास का भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन व अन्य यूरोपीय दवा कं. से अरबों रु. डकार कर पूरे भारत में कहीं भी और कभी भी औषधि परीक्षण की खुली छूट देना, दूसरी ओर देश की लगभग 10,000 से ज्यादा लघु इकाइयों, 2000 से ज्यादा मध्यम दर्जे की ईकाईयों जो सस्ती दवा का उत्पादन कर, इन बहुराष्ट्रीय की बिक्री को बाधित व नियंत्रित करती वि.स्वा.सं. के जी.एम. पी प्रमाणीकरण और शेड्युल एम लागू करवाकर बंद करवा दिया गया और लाखों लोगों को बेरोजगार बना दिया गया। अब बाजार में केवल बहुराष्ट्रीय की महंगी दवायें ही उपलब्ध हैं।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

महंगाई पर घड़ियालों के आंसू...

लाशों के व्यापारी–कैसे बांटे मुफ्त गेहूं

भारत के सर्वोत्तम न्यायालय ने सड़ते गेहूं को बचाने के लिए केंद्र सरकार को एक याचिका में आदेश दिया कि सरकारी गोदामों में सड़ते गेहूं को बचाने के लिए गरीबों में मुफ्त बांट दिया जाए। आखिर लाशों का व्यापार करने वाले गिद्ध शरद पंवार ने उलटा ही सर्वोच्च न्यायालय को ही समझा दिया कि अपनी औकात में रहे, गेहूं सड़ता है तो सड़ जाये पर मुफ्त में नहीं बांटा जा सकता। आखिर क्यों? इसीलिए कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय का मंत्री गिद्ध शरद पंवार की बपौती है, कृषि मंत्रालय, जिसे हरामखोर अपनी कमीशन डकारते हुये ही तो चलायेगा, यदि सर्वोच्च न्यायाल के निर्देशानुसार मुफ्त गेहूं बांटेगा तो जो अरबों रु. के दांव एनसीडेवस में लगे हैं सबके सब करोड़ों रु. के घाटे में चले जायेंगे, क्योंकि मुफ्त गेहूं बंटते ही स्वाभाविक वासतविक बाजार की गेहूं की वास्तविक कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा और कीमतें घटेंगी, जिससे उच्च दरों पर जिन जालसाज जुआं खोरों ने अपनी

वस्तु वायदा व्यापार में लगा है, अरबों रु., शरद की बपौती है कृषि,

दो नं. की काली कमाई को राष्ट्रीय वस्तु विनिमय अर्थात एनसीडेक्स में लगा रखा है वो सब भी इन्हीं सत्ताधीश अधिकारियों, मंत्रियों, नेताओं उनकी औलादों, रिश्तेदारों पर उनके नाम से निवेशित हैं, भारी घाटे में चले जायेंगे। जहां तक किसानों का सवाल है तो अधिकांश गेहूं सरकारी खरीद में ही देना पड़ता है, क्योंकि व्यापारी बड़ी-बड़ी कंपनियां फसल आने और मंडी पहुंचने की आवक में बढ़ने और खरीदी के समय आधी पौनी हाने लगती है। जो सरकारी भाव से 10-12% तक कम होती है। इसलिये अधिकांश गेहूं केंद्र व राज्यों की एजेंसियां जिसमें भारतीय खाद्य निगम सहकारी संस्थायें ही खरीदी करती हैं। इसलिये सरकार के पास ही लाखों टन गहूं का स्टाक रहता है। दूसरा यदि राशन दुकानों में ये सस्ता गेहूं भेज दिया गया तो फिर आस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका व अन्य देशों से सड़ा हुआ गेहूं की खरीदी जो रु. दो रु. किलो होती है। फिर रु. 15 से 20 रु. में कैसे खरीदकर अनुदान देने का रोना रोने की आड़ में अरबों रु. कैसे हजम करेंगे। (शेष पृष्ठ 2 पर)

२०१० गेम ऑफ कॉमन वेल्थ खेल की चकाचौंध में

20 करोड़ भूखों की दबा दी चीखें

जन धन के रु. ७०००० करोड़ से मौज, मस्ती, अय्याशी की चकाचौंध

नई दिल्ली में 3 अक्टूबर से हुये जन धन के खेल की चकाचौंध गलेभर, नग्न जिस्मों, नुमाइश, मौज मस्ती और अय्याशी में इस 20 करोड़ भूखे, 20 करोड को एक वक्त भोजन मिलने के बाद भी लगभग रु. 1 लाख करोड़ का धुंआ उठते देखा। 20 करोड़ लोगों की रोटी, जबकि गोदामों में ये धूर्त राक्षस मनमोहन प्रधान मंत्री, कृषि मंत्री शरद पवार विदेशी महंगाई डायन खूबसूरत अधबूढ़ी सोनिया गांधी वायदा व्यापार की जुएं से कमाई के चलते सड़वा रहे हैं। देने की अपेक्षा, जनता के खून पसीने वसूली गई राशि के रु. 1 लाख करोड़ बर्बाद कर चुके हैं, क्योंकि रु. 70000 करोड़ तो ये बह रहे है, जबकि सुरक्षा सेवाएं देने में ही रु. 1000-2000 करोड़ जो बर्बाद हुये वे कौन देखेगा। करोड़ों की फसलें पेड़, बिजली, पानी, मिट्टी बर्बाद हुई उसका हिसाब तो ये गिद्ध डकैतों की कांग्रेसी फौज कभी बताएगी ही नहीं। दूसरी ओर रु. 1 लाख करोड़ की बर्बादी तो इन डकैत श्वानों ने कर ही दी जिसमें रु. 50,000 करोड़ ये डकार गये, परन्तु यह भी इस देश की जनता के सामने भारतीयों की हजारों वर्ष पुरानी गुलामी के संबंध में युरोपीय देशों की उस .....अक्षरशः, जिसमें कहा जाता है कि न, तू हिन्दू रहेगा, न मुसलमान रहेगा, तू हिन्द की स्वाभिमान औलाद, तू गुलाम की औलाद है, गुलाम रहेगा,

(शेष पृष्ठ 4 पर)

०१.१०.१० से लागू खाद्य सुरक्षा के नाम बहुराष्ट्रीय हितों की सुरक्षा

अरबों रुपए कमीशन डकारने, बनाया कानून

५ करोड़ से ज्यादा होंगे बेरोजगार, गरीबी नहीं गरीबों को मिटाओ

अंग्रेजों की सत्ता ने 250 वर्ष भारत को जितना नहीं लूटा उससे लाखों गुना ज्यादा उनकी रखेलों की भारतीय दानवों की फौज कांग्रेस उतना वर्ष भर में लूट कर स्विस बैंकों में जमा कर देती है। इसके लिए ये दानव कांग्रेसी न केवल किसी भी हद तक गिरने बिकने को तैयार रहते हैं, वरन उसके लिए ये गिद्दों का झुंड कानून बनाने से भी नहीं चूकता, 1972 में बना आयोडीन नमक कानून जो टाटा को पूरे देश का नमक गिरवी कर टाटा के हजारों गुना मुनाफा कमाने और स्वयं अरबों रुपए प्रतिवर्ष का कमीशन डकारने के लिए बना दिया गया। अब साधारण नमक जो 25-50 पैसे किलो का होता है। बाजार में रुपए 10 प्रति किलो से ज्यादा बिकवाया जा रहा है। इसी प्रकार अब हजारों करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का कमीशन डकारने बहुराष्ट्रीय कं. जिसमें आईटीसी जो ब्रिटिश टोबेको कं. की भारत में सहायक कं. है और रिलायंस जो केन्द्र और राज्य सरकारों को नचाने वाला कमीशन काटकर राष्ट्र को अपनी तरह हांक रहा है। के इशारे पर खाद्य सुरक्षाओं, मानक आधे नियम 06 पूरे भारत में अक्टू. 01, 10 से लागू करवा दिया, इस कानून से इन कांग्रेसी दानवों ने कई चालें एक साथ चली है। जो इन बहुराष्ट्रीय कं. के असीमित लाभार्जन और बदले में हर वर्ष जिले, प्रदेश और देश में बैठे सत्ताधीशों को मासिक, त्रैमासिक छह माही या वार्षिक यथा योग्य से हरामखोर कमीशन बांटकर जनता को निचोड़ते रहेंगे। ये कानून पुनः देश को गुलाम बनाने की और बड़ा कदम है, इन रिलायंस, आईटीसी जैसी कंपनियों ने अब उपजाऊ जमीनों को न केवल मप्र में वरन उप्र, महाराष्ट्र, जैसे उपजाऊ प्रदेशों में हजारों एकड़ जमीनों को पट्टे पर लेकर खेती अपने तरह से शुरू कर दी है। अब किसानों को वार्षिक पट्टे की रकम के साथ उन्हीं की जमीनों पर बंधुआ मजदूर बनाकर वेतन दिया जाने लगा है। यह रास्ता सीधा अंग्रेजों के नील साहब की तरह गुलामी की तरफ जाता है। अब किसान अपने कृषि उत्पाद मंडी लेकर नहीं जा सकेगा, उसके सारी साग सब्जियां, अन्न, दलहन, तिलहन, सब कुछ ये बहुराष्ट्रीय कंपनी कुछ वर्षों तक बाजार दरों पर खेतों से सीधे खरीदेंगी, जब सारी मंडिया बाजार व्यवस्था चौपट हो जाएगी और पूर्ण निर्माण जब इन किसानों की इन कंपनियों पर हो जाएगी तब ये अपने मात्र से खरीदेंगे और मोटा लाभ लेकर, मिलावट कर डिब्बा बंद, अपने माल में बेंचेगे, कोई भी किसान अपनी फसल या उत्पाद खेतों से उठाकर मंडी तो दूर घर भी नहीं ले जा सकेगा। सीर साग सब्जियों, खाद्यान्न, दलहन, तिलहन केवल इनके बहुउद्देशीय भंडार ग्रहों से ही बिकेगा आम ठेले वाला, कंजड़ा सब्जीवाला, व्यापारी इन्हें बेचने को तो दूर परिवहन नहीं कर सकेगा, परिवहन करने पर सीधा रुपए 25000 दंड की व्यवस्था होगी।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं
साप्ताहिक समय माया
इंदौर, सोमवार 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2010

सम्पादकीय

भारतीय जनता सत्ताधीशों और बहुराष्ट्रीय कं. की नजर में पशुओं से भी बदतर

भारत श्रेष्ठ बुद्धिजीवियों, ऋषि मुनियों, देवियों, देवताओं का राष्ट्र सहस्त्रों वर्षों से रहा है; तो श्रेष्ठ दानवों और दैत्यों का भी राज रहा है। कल भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा।

वर्तमान में बैठे सत्ताधीश दानवों में राष्ट्र का प्रधानमंत्री मनमोहन, कृषि मंत्री शरद पंवार पूर्व का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. अंशुमणि रामदास और वर्तमान का गुलामनबी आजाद प्रथम श्रेणी में रखे जा सकते हैं। वैसे तो सत्ताधीश धूर्तों और जालसाजों का ही गिरोह भूत, वर्तमान और भविष्य में, थी, है और रहेगी।

इस दानव कृषि मंत्री को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि गोदामों में पड़ा अतिरिक्त गेहूं सड़ाने की अपेक्षा गरीबों में मुफ्त वितरण कर दिया जाए, तो पलटवार इस दानव ने मात्र अपनी कमीशन और कमाई के लिए किया कि न्यायाधीश अपनी सीमाओं में रहें शासन चलाना हमें नहीं सिखाएं, गेहूं सड़ता है तो सड़ जाए पर गरीबों में नहीं बांटा जा सकता मुफ्त में। जिस दानवों के गिरोह के मुखिया प्र.मं. मनमोहन ने स्वयं ये ही वाक्य बोलकर मोहल लगा दी, इसी प्रकरण के अंतर्गत राष्ट्र की श्रेष्ठ उच्च गुणवत्ता की दालें, चावल, गेहूं तो मोटे कमीशन के चलते विदेशों को निर्यात कर दिऐ गये। फिर गोदामों में सड़ते खाद्यान्न को दर किनार कर आस्ट्रेलिया, अमेरिका व अन्य राष्ट्रों से जानवरों द्वारा नकारे गये सड़े लाल गेहूं 07-08, 08-09 में आयात कर राशन दुकानों से बंटवाया गया। जिसमें भी रु. 10 से 12 रु. प्रति किलो का मोटा कमीशन था। जब मीडिया में ज्यादा हल्ला मचा तब गेहूं बंटवाना बंद हुआ अर्थात भारतीय जनता, सत्ताधीशें और बहुराष्ट्रीय कं. के लिए पशुओं से भी बदतर है।

दूसरी ओर सत्ताधीश पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. अंशुमणि रामदास भारतीय जनता को पशुओं से भी बदतर माना सन् 2105 में विदेशी बहुराष्ट्रीय कं. के लिये मोटा कमीशन डकार कर पूरा औषधि परीक्षण हेतु कानूनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर कुछ नये एक्ट बनाकर जनता पर परीक्षण की सीधी खुली छूट दे दी। दूसरी ओर भारत की 10000 से ज्यादा छोटी औषधि उत्पादक इकाइयों की मार्शेकर रिपोर्ट के आधार पर बंद करवा कर सारा औषधि उद्योग बहुराष्ट्रीय कें. के हाथों में गिरवी कर दिया।

अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे यूरोपीय राष्ट्रों में किसी भी नई औषधि का प्रयोग चूहों, खरगोश गिनींसिंग, बंदर चिंपाजी पर वर्षों प्रयो कर देखा जाता है। उनकी देखरेख उसके गुण धर्म जाते जाते हैं। भारत की जनता उनसे भी बदतर थी यहां कोई भी विदेशी कं. किसी भी डॉक्टर को मोटा कमीशन बांटकर सीधे भारतीय मरीजों पर प्रयोग कर रही है। ये सारे संशोधन पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. अंशुमणिरामदास के समय में ही हुये जिसमें बिना अरबों रु. के कमीनशन के कुछ भी नहीं हुआ।

जो विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरे विश्व की स्वास्थ्य रक्षा का अपने आप को जिम्मेदार बताता है। वहां कितने बड़े दानवों की फौज बैठी है, जिसके आधार पर कानूनी संशोधन कर ये औषधि परीक्षण भारत के हर प्रदेश में, चिकित्सीय शिक्षा संस्थानों में चल रहा है। पूरे देश में कम से कम 5 लाख से ज्यादा बच्चों और वयस्कों पर ये औषधि प्रयोग किये गये और किये जा रहे हैं। इन औषधियों के प्रयोग से कम से कम 50 हजार से ज्यादा स्वर्ग सिधार चुके होंगे, जिसकी कानोंकान खबर तक नहीं हुई। जो समाचार म.प्र. के इंदोर, भोपाल से आये हैं वो तो 1% भी नहीं हैं। केंद्र सरकार के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जो स्वास्थ्य मंत्री के अंतर्गत संचालित होता है, करोड़ों रु. डकार कर सीधे प्रयोग छूट दे दी अर्थात भारतीय जनता इन सत्ताधीशों और बहुराष्ट्रीय कं. के लिए औषधि परीक्षण के मामलों में जानवरों से भी बदतर है। ये हालात एम्स से लेकर शासकीय चिकित्सा संस्थानों के हैं तो फिर निजी मेडिकल कॉलेजों में तो हर मरीज पर किसी न किसी र्न औषधि का प्रयोग चल रहा होगा, जिसे सूचना के अधिकार में जानकारी में भी हनीं मांगा जा सकता।

अर्थात हर भारतीय मरीज की यही कहानी, दिल में दहशत, तन में पीड़ा, भगवान भरोसे जिंदगानी।

डेंजर है, रेंजर, दो साल में संभाग से बाहर भेजो

कहां से आती है, ३० से ६० ट्रक लकड़ी टिंबर मार्केट

इंदौर, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ में अवैध कटाई अनवरत

इंदौर। डीएफओ कृष्णमूर्ति ने चोरल, महू, मानपुर रेंजों को साफ करवाने में न केवल अहं भूमिका निभाई वरन दक्षिण भारतीय भाजपाई नेताओं के दम पर ही वो हरामखोर इंदौर में कमाई करने के लिए ही पदस्थ किया गया था। पिछले तीन वर्षों में ही उसने रु. 10 करोड़ से ज्यादा अवैध वनों की कटाई मं वन माफियाओं को खुला संरक्षण देकर 10% से ज्यादा वनों को साफ करवा दिया था। हर शिकायत पर उल्टे ही वह एक तरफ कानूनी कार्यवाहियों को दिखाने के लिए पूरा करता था। दूसरी तरफ उन्हें बचाने की व्यवस्था पुख्ता कर दिया करता था, उसके कार्यकाल में हर वर्ष 2500 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। चोरल और मानपुर रेंजों में भारी भ्रष्टों की पदस्थापनायें करवा कर खुले में वनों का सफाया किया गया, यही हाल देवास की पुंजाकरा सोनकच्छ, पानीगांव, उदायपुर, कांटाफोड़, कन्नौद, सत्वास बागली रेंजों में भी हुआ। पानीगांव में तो सैकड़ों एकड़ जमीन वन विभाग की जो कांटाफोड़ से इंदौर मार्ग से लगी हुई थी। पूर्णरूप जंगलों को साफ करके खेतीहर बना दी गई, देवास की सभी रेंजों में समतल क्षेत्रों में वन थे उनको एक तरफ से कटाई करके लकड़ी बेंची गई तो दूसरी 25-30 वर्ष पूर्व पंजाब से भागकरी आये खालिस्तान फोर्स के खूंखार किस्म के सरदारों ने न केवल उस क्षेत्र में पहले झोंपड़ियां बनाई, और लकड़ियां काट-काटकर बेंचने, बसों को लूटने में खेल दिखाया और अभी भी वो सारे सिक्ख अवैध कटाई ट्रकों, बसों से वसूली करने और कब्जाई जमीनों पर अब खेती कर वहां पक्के मकानों की एक बस्ती बनाकर अब वो सारे सिक्ख वहां के स्थायी निवासी हो चुके हैं। वो सब इन रेंजरों से लेकर ....गार्ड से दोस्ताना संबंध बनाकर

इन वनकर्मियों के संरक्षण में वन कटाई का धंधा भी कर रहे हैं।

दूसरी तरफ वन विभाग में जो एक पद सर्वोपरी हुआ करता था इन हरामखोर वन मंडलाधिकारी जो सभी इंडियन फारेस्ट ईटिंग सर्विस के ही अधिकारी होते हैं, चूंकि उस सर्वेयर का यही फर्ज होता था कि वह हर रेंज का दौरा करे और जंगल में कहां क्या हो रहा है कितने जंगलों में पेड़ों की कटाई हो रही है, वन विभाग की जमीनों पर कौन कितने कब्जे कर रहा है। इसकी तत्काल सूचना वो संबंधित वन मंडलाधिकारी और मुख्यालय को सूचित करे, धीरे सारे सर्वेयर्स के पदों पर बैठ कर्मचारियों को इन गिद्दों ने दूसरे कार्यों में उलझाकर अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के षडयंत्र स्रे और विभाग से सर्वेयस का पद ही समगत करवा दिया पिछले 25 वर्षों से यही कारण है कि जमीनों पर पूरे प्रदेश में ये रेंजर्स और डीएयुओ ही जंगलों की सफाई कर एक तरफ अरबों रुपए की कीमती लकड़ी वन संपता बेच कर या अवैध रूप से कटवा कर अपना हिस्सा डकार गए दूसरी ओर जमीनों के क्षेत्रिय ग्रामीणों के पट्ठों पर उठवा कर तिमाही छह माही या वार्षिक किराया वसूल कर रहे हैं। इस प्रकार देवास, शाजापुर, रतलाम, इंदौर, खरगोन, खंडवा, धार, बड़वानी, आलीराजपुर, बुरहानपुर, झाबुआ के साथ ही पूरे प्रदेश में जिन जिलों जो 10 -20 प्रतिशत वन बचे हैं रेंजर, डेंजर फार जंगल वर्ष भर में इस प्रकार रुपए 2 लाख से 5 लाख प्रतिवर्ष कमा रहे हैं। वन मंडलाधिकारी भी इसमें 20 से 40 प्रतिशत का हिस्सा हर रेंजर से डकार जाता है। चूंकि सर्वेयर का पद ही समाप्त कर दिया गया तो कौन बताए कुल जंगलों के कितने हेक्टेयर या कितने प्रतिशत जमीन का उपयोग कृषि भूमि में किया जा रहा है। वन मंत्री सरताज सिंग को चाहिए कि इन सर्वेयरों के पदों को पुर्नजिवित कर, शीघ्रता वन मूफिया और वनों का सर्वे करवाए दूसरी और वनों वन जीवों, वन संपदताओं, दुर्लभ जड़ी बूटियों, वनस्पतियों, खनिजों, आदि का हनन रोकने के लिए संरक्षण के लिए सबसे पहले इस धूर्त इंडिया न फारेस्ट इटिंग सर्विस के अधिकारियों की संख्या को किसी भी परिस्थितियों में 150 से ज्यादा न हो, एक तरफ तो इन आईएफएस गिद्दों की संख्या तेजी से बढ़ाई जा रही है। दूसरी तरफ जंगलों में रहकर कर्मचारियों की संख्या तेजी से घटाई जा रही है, जो वास्तविकता में वनों की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। रेंजल जैसे किसी भी महत्वपूर्ण पद पर रहने वालों को किसी भी हाल में तीन वर्ष से ज्यादा किसी भी एक जिले मे न रहने दिया जाए अकेले इंदौर, उज्जैन, संभाग के 14 जिलों में कई रेंजरों ने 10 से 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जबकि चाणक्य ने ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर शासकीय सेवकों का हर छह माह में, नहीं तो वर्ष भर में स्थानांतरण की सलाह दी है। जिलों में वन संरक्षकों को चाहिए। इन्हें वर्ष भर में ही जिलों में ही किसी अन्य परिक्षेत्र में स्थानांतरण कर दिया जाए। दूसरे जो धन शासन से इन्हें हयर माह लाखों रुपए की धन राशि मिलती है। उस पर भी बारीक नजर रखी जाए, वन मंडल देवास की रोकडबही के सूचना के अधिकारी में प्राप्त कर की गई जांच से यह तथ्य सामने आए कि यहां पर परिक्षेत्राधिकारी और वन मंडलाधिकारी मिलकर शासन के धन के साथ ही वन संपत्तियों के बलात्कार और वनों की कटाई से हत्या कर ये घोर अपराधी पूरी धरती की बर्बादी कर रहे हैं। ये सब इन्हीं के अपराधों का परिणाम है कि इंदौर टिंबर मार्केट में हर दिन 50 से 600 ट्रक, ट्रालों मिनी ट्रकों आदि से हरी लकड़ी आती है। जो देवास, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, बड़वानी, इंदौर, आलीराजपुर, शाजापुर के वनों से ही लाई जाती है। अकेले इंदौर जिले में ही 200 से ज्यादा आरा मशीनें कार्यरत हैं, यही हाल भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर का भी है। जबकि हर जिले में 100 -50 आरा मशीनें वर्षों से चल रही है।

वर्तमान में सभी राजमार्गों, जिला मुख्यालयों, संभागीय मुख्यालयों को जाने वाली सड़कों पर वन विभाग के नाके भी समाप्त कर किये गये हैं। जो अवैध कटाई लकड़ी व्यवसायियों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। क्योंकि एक बार मुख्य मार्ग पर आ जाने के बाद कोई रोकने वाला नहीं, चाहे फिर महाराष्ट्र में बेंचों, मप्र में बेंचों, गुजरात, राजस्थान सब ही जगह स्वतंत्र है। वास्तविकता में यही कारण है वनाहर रोज सिमट रहे हैं। हर दिन 40 से ज्यादा वन जीवों का प्रजातियां नष्ट हो रही है। कई दुर्लभ प्रजाति के पेड़ सदा के इन गिद्दों ने नोंच खाए हैं।

वन मंत्री सरताज सिंह बातें कितनी भी लंबी चौड़ी करें, हो सकता है, दिली इच्छा में काम दिखाने की किरण हो, आखिर वन मंत्री यहां केवल वन गमन करने के लिए तो नहीं आए, चमन रहे न रहे 3 वर्ष बाद तो मंत्रीजी नहीं रहेंगे।

लाशों के व्यापारी–कैसे बांटे मुफ्त गेहूं

प्रथम पृष्ठ का शेष

समय माया पिछले कई वर्षों से महंगाई कम करने के लिये इन नेशनल कोमोडिटीज एवं डेरीबेटीव्ज एक्सचेंजों में होने वाले वस्तु व्यापार को बंद करने के लिये लगातार पिछले 6 वर्षों से आवाज उठा रहा है। समय माया के प्रकाशन के बाद कुछ वर्षों बाद से ये आवाज कुछ समझदार समाचार पत्रों ने भी उठाई, परन्तु ये गिद्धों की फौज अपने कमीशन और कमाई को कैसे बंद कर सकती है। दो नं. के पैसों को विनियोजित कर कमाई के इस आसान तरीके से कैसे मुंह मोड़ सकती है या ऋण दूसरी ओर आवश्यक वस्तुओं पर बैंक साख देना बंद कर दे या ब्याज दर बढ़ा दे तो भी ऐसे स्टॉक की जमाखोरी पर भी आसानी से अंकुश लगाया जा सकता है, जिससे महंगाई आसानी से नियंत्रित की जा सकती हैं

फिर तीसरी तरफ आस्ट्रेलियन व्हीट बोर्ड अच्छा गेहूं रु. 10 से 15 में खरीदकर विदेशों में बेंच देता है और सड़ा गेहूं रु. 15 से रु. 20 प्रति किलो में गरीबों को बांटने के लिए मोटा कमीशन का ये धूर्त कृषि मंत्री खरीद लेता है। ऐसे ही चावल, शक्कर, तेल, चाय, दूध पाउडर व अन्य खाद्य सामग्री के साथ।स्वाभाविक है निर्यात में मोटा कमीशन और लाभ मिलता है तो बदले में भारत में हर खाद्य सामग्री महंगी होकर बिकती है, जिसका सीधा असर गरीबों के साथ, गरीबी रेखा से ऊपर आय निम्न मध्यम वर्गीय और रु. 10 से 20 हजार रु. प्रति माह कमाने वाले आम नागरिकों पर पड़ता है। चौथा पेट्रोल-डीजल की बेलगाम बढ़ती कीमतें जो इन कांग्रेसी दानवों जिसमें पेट्रोलियम मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, रिलायंस आदि को ही अरबों रु. का लाभ पहुंचाता है। हर खाद्य सामग्री में जुड़कर आम जनता से ही वसूला जाता हैं। इन सभी के लिए पूर्णतः कांग्रेसी कमीशनखोर डकैतों की फौज जो केंद्र में बैठी है जिम्मेदार है। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को तो मूल्य सूचकांक बढ़ने के साथ ही महंगाई का भुगतान कर दिया जाता है। परन्तु नौकरी पेशा कर्मचारियों, मजदूरों को, निजी क्षेत्र के वेतन भोगियों को तो इसका लाभ नहीं मिलता वो बेचारे तो मुश्किल से रु. 2000 से 5000 मासिक कमाकर दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाते हैं जब ज्यादा हो हल्ला मचता है तो ये भी घड़ियाली आंसू बहा कर महंगाई नियंत्रित करने का ढोंग करने लगते हैं। वास्तविकता में न तो इन्हें महंगाई नियंत्रित करना है न ही कोई कदम उठाने है। हां महंगाई नियंत्रित करने का नाटक अवश्य पूरा खेलना है। वरना दो लाइनों में, निर्यात, वायदा व्यापार और खाद्य सामग्री के संग्रहण पर साख नहीं की जायेगी। सारी महंगाई तीन दिन में सड़क पर आ जायेगी, पर ऐसा कांग्रेसी राक्षस कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनसे सबसे ज्यादा नुकसान इन धूर्त गिद्ध दानवों को ही होगा। जनता महंगाई से मरे, बाढ़ से मरे, पत्थर फेंकने से मरे कैसे भी मरे। ये लाशों के व्यापारी रु. 100-200 करोड़ का पैकेज लगाकर कमीशन डकारेंगे।

प्रतिबंधात्मक सूचना

इस समाचार पत्र एवं वेबसाइट में प्रकाशित समाचार सामग्री का पूर्ण-अपूर्ण या उसके आधार पर बनाये गये अन्य समाचार, टीवी समाचारों, टीवी एपिसोड, इंटरनेट साइटों पर नगर, प्रदेश व राष्ट्र या राष्ट्र के बाहर विश्व में किसी समाचार पत्र पत्रिका, टीवी समाचारों, डाक्यूमेंट्री या धारावाहिकों में बिना लिखित आदेश व अनुमति के उपयोग न करें. अन्यथा कॉपी राइट एक्ट के अंतर्गत इन्दौर न्यायालय में क्षतिपूर्ति एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है एवं किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र इंदौर रहेगा। इस समाचार पत्र की प्रतियां लेकर कुछ जालसाज ढोंगी पत्रकार होने का ढोंग कर पैसे, चंदा, सम्मेलनों के नाम पर धन वसूली करने की शिकायतें मिल रही हैं. ऐसी किसी भी अवस्था में आप सीधे मोबाइल पर चर्चा कर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं. अन्यथा सीधी पुलिस और कानूनी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं.

आज्ञा से प्रधान संपादक

खाद्य एवं औषधि इंदौर को पुराना भवन क्यों नहीं दिया जाता

पुलिस पकड़े नकली घी, खा.नि. करें महीना वसूली

कदम-कदम मिलावट का खेल, मंत्री, निरीक्षक पिये रिश्वत का ते

इंदौर में 4000 ली. नकली घी गणेश साहू की गणेश आइल मिल में पकड़ा गया। जिसे पुलिस ने छापामार कार्यवाही में पकड़ा, डीबी स्टार ने अपनी तारीख में उसने पकड़ना बताया, घी जब्त करके लाया गया, इंदौर के खाद्य औषधि विभाग के कबाड़खाने रुपी कार्यालय में रखा गया। उसमें चारों तरफ घी भरा हुआ था इसलिये सारा कार्यालय खुले में लगा अगले दिन, उसके बाजू में बनी वह पुरानी कबाड़ होती खूबसूरती खोती, ऐतिहासिक इमारत जबकि खाद्य एवं औषधि की खरीदी हुई होने के बाद पिछले 15 वर्षों से उसे नहीं दी जा रही है। जो म.प्र. शासन को उस ताला लगी इमारत जो मेडिकल कॉलेज के कब्जे मे हैं, से तत्काल वापिस दिलवायी जानी चाहिये ताकि यह महत्वपूर्ण तरीके से उस भवन में कर सके व जब्त किये माल को रखा जा सके।

इंदौर में यदि नगर निगम और खाद्य एवं औषधि के निरीक्षक की भी रोज अगर कार्यवाही करें तो भी कम है पर फि महीना का रु. 25 से 40 लाख का खेल अवश्य बिगड़ जायेगा, पूरे इंदौर शहर में 2000 से ज्यादा डिब्बों में लाकर दूध बेचने वाले रु. 500 से 1000/- का महीना बांटते हैं, 300 से ज्यादा डेयरियां जो घी, दूध, दही, सप्रेटा, पनीर, मक्खन, घी, छाछ बेचती हैं रु. 500 से रु. 1000 महीना बांटती है। 500 से ज्यादा छोटे बड़े नमकीन, मिठाई विक्रेता भी ऐसे ही महीना बांटते हैं। 5000 से ज्यादा छोटे-मोटे किराना व्यवसायियों से लेकर करोड़ों रु. का सियागंज में व्यवसाय करने वाले भी रु. 500 से लेकर रु. 5000/- तक महीना बांटते हैं। सायाजी, फार्चून लैंडमार्क से लेकर 200 से ज्यादा होटलें, 1000 से ज्यादा छोटी होटलें भी महीना बांटती है। बेचारे ये 10 निरीक्षक नगर निगम के, 10 खाद्य एवं औषधि के निरीक्षक, मिलकर पूरे शहर भर से समय पर उगाही नहीं कर पाते, तो फिर जन शिकायत पर पुलिस नकली घी पकड़ती है। आखिर ये खा.ओ. का निरीक्षक पिछले 4 वर्ष से ज्यादा समय से इंदौर में परते जमा हैं,विभागीय सूत्रों के अनुसार रु. 5 लाख देकर स्थानांतरण रुकवाया है। रु. 2 लाख देकर खा.नि. अरविन्द पथरोल उज्जैन से इंदौर आया है। 10 नमूने हर माह लेने की औपचारिकतायें तो नौकरी के साथ जुड़ी हैं,ल फिर बेचारे 10 नमूने भी नहीं भरेंगे तो ये 10,000 से ज्यादा बड़ी बहुराष्ट्रीय कं. के खाद्य उत्पादकों, पैकर्स और विक्रेताओं से लेकर सायकलों तक पर मिलावटी और स्तरहीन और नकली दूध बेचने वालों, चाय-समोसे, पोहे की दुकान वालों से वसूली कैसे करेंगे, फिर इन्हीं खाद्य निरीक्षकों की दम पर कलेक्टर, कमिश्नर, एस.पी., मंत्री, संत्री, नेताओं, बड़े पत्रकारों की पार्टियों में आयोजनों में मुफ्त खाद्य सामग्री, घी, तेल, शक्कर, चांवल की व्यवस्था कौन करेगा।

यदि भास्कर जैसा भ्रष्ट मीडिया माफिया खा.नि. सचिन लोंगरिया की तारीफ के कलमें भास्कर जैसे समाचार पत्र में मुफ्त तो नहीं छापेगा जबकि अकेले इंदौर में ही 10,000 से ज्यादा खाद्य वस्तुओं में हर कदम-कदम पर सियागंज, मालगंज से लेकर सांवेर रोड, पोलोग्राउण्ड, लक्ष्मीनगर, महू रोड से लेकर इस 20 लाख की आबादी के इस महानगर की हर गली-मोहल्ले में मिलावाटी और स्तरहीन 90% माल बेचा जा रहा है। ये बात सारे दैनिक वालों जिनमें भास्कर, राज एक्सप्रेस, नईदुनिया, अग्निबाण, प्रभात किरण को अच्छी तरह से मालूम है। राज एक्सप्रेस के तो कभी-कभी सच्चाई छाप भी देते हैं। चूंकि दूसरे बड़े अखबारों को यह निरीक्षक महीना बांटता है, इसलिए नगर निगम और खाद्य औषहधि के निरीक्षकों की इस लूट को सब आंख मींचकर नोटों की माला जपते देख रहे हैं।

दूध के संबंध में, तो स्पष्ट है कि जब दुधारु जानवर कुल आबादी के चाहे वो जिले की हो, संभाग की हो, प्रदेश की हो या देश की हो 20% भी नहीं है फिर उसमें से मात्र 40% दूध देते हैं। यदि अधिकतम 20% जानवर अर्थात, कुल आबादी के 8% जानवर क्या पूरी 100% आबादी को दूध, दही, घी, मक्खन, मावे, मिठाई आदि की आवश्यकता को पूरा करने की तो दूर दूध मुंहे बच्चों को असली दूध नहीं मिल रहा। सांची और अमूल जैसे सहकारी दुग्ध संघ भी टनों से विदेशों से पाउडर का दूध आयात करके बेच रहे हैं। तो सायकल वालों से लेकर ट्रक लॉरी वाले दूध कहां से ला रहे हैं और जहां से ये ला रहे हैं। वहां उतने दुधारु पशु गाय,भैंस भी है, क्या? अर्थात सारा कारोबार चांदी-बंदी से चल रहा है। फिर नगर निगम के निरीक्षक जो पकड़ते हैं और धन लेकर फेंक देते हैं। खराब हैं, तो फेंकों अवश्य परन्तु नमूने लेकर भी भेजों, यह सही है कि भोपाल के

मुख्यालय पर जब खाद्य और औषधि नियंत्रक म.प्र. आर.के. श्रीवास्तव जिसे ड्रग और फूड की एबीसीडी नहीं आती और केवल वसूली के लिए बैठा है, उप जिलाधीश के स्तर का अधिकारी तो खान वसूली के अतिरिक्त कर भी क्या सकता है, इसके विपरीत उज्जैन जैसे संभागीय मुख्यालय के सारे खाद्य निरीक्षकों को हटाकर वहां मात्र एक महिला खाद्य निरीक्षक को बैठाया जाना भी कम बदइंतजामी और लापरवाहीपूर्ण नहीं है। वहां भी दूध का घोर अभाव है पर क्विंटलों से दूध की मिठाइयों का महाकाल बाबा पर फिर भी प्रसाद चढ़ाया ही जा रहा है। इसकी सत्यता गांवों के सरपंचों से भी मालूक की जा सकती है फिर चरनोई की भूमि सरपंचों से लेकर शासन ही चर गया, जंगल बचे नहीं, तो दुधारु पशु क्या केडबरी, अमूल, पारले की चॉकलेट खाकर दूध दे रहे हैं। म.प्र. पशु चिकित्सा विभाग का दुधारु पशुओं से नहीं उनके नाम से पूरे प्रदेश को रु. 500 करोड़ का आवंटन चरने से है, इसलिये तो वो दुधारु पशुओं की संख्या ज्यादा ही बताते हैं। जबकि गांवों और जनपदों की पशु चिकित्सालयों के तालों पर लगी धूल महीनों साफ नहीं होती। अधिकांश पशु चिकित्सक जिला मुख्यालयों पर बैठकर कागजी कार्यवाही पूरा करके जनता के धन के पशुओं के स्वास्थ्य और विकास के और वेतन के धन के हड़पने के अतिरिक्त कुछ नहीं करते, जब उज्जैन के संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा से बात हुई तो उन्होंने बहस के बाद अप्रत्यक्ष रुप से स्वीकार कर लिया, फिर सांची और अमूल दूध के पूरे प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर, श्रीखंड, आइसक्रीम, छाछ के नमूने कहीं पर क्यों नहीं लिये गये क्योंकि यदि कोई खाद्य निरीक्षक अगर इनके नमूने भरने का प्रयास भी करे तो संबंधित जिले का कलेक्टर उसे धमका देता है कि तुझे शहर में और विभाग में काम करना है, कि नहीं, क्योंकि हर सांची की डेरी का अध्यक्ष कलेक्टर ही होता है। यह खाद्य निरीक्षकों की ही रिपोर्ट है, कि पूरा सांची का गोल्ड के अलावा पाउडर से बनाया जाता है। जब म.प्र. शासन की सहकारी डेरी का यह हाल है तो आम दूध वाले का क्या हाल होगा, बेशख इन सांची और अमूल वालों की हरामखोरी और भ्रष्टाचार का ही परिणाम है दूध के भाव रु. 30/- लीटर होने के बाद भी स्तरहीन दूध जनता को मिल रहा है। दूध के हर दिन यदि 100 नमूने भी लिये जाये तो भी सायकल वाले दूधियों से लेकर ट्रकों पर दूध लाने वालों का नं. भी मुश्किल से महीने में एक बार आयेगा, यह हाल पूरे म.प्र. का हैं, सब धन बटोर कर शांति का राग अलाप रहे हैं।

नगर निगम के सभी खाद्य निरीक्षकों के क्षेत्र बांट रखे हैं, बेचारे महीने की पहली तारीख से 10 तक सुबह छह बजे ही, अपने अपने क्षेत्र के शहर में घुसने वाली सड़कों पर जाकर सायकलों, मोटर सायकलों से लेकर जीपों, ट्रकों में आने वाले दूध वालों से वसूली करने पहुंचते हैं, चाहे बरसात हो या ठंड, महीना वसूली जो मात्र कुछ लाखों में ही होती है। दुकानों पर छापों की नौटंकी तो पार्षद और खाद्य समिति प्रभारी को अखबारों में नाम छपवाने, हड़कंप मचाने, रंग जमाने, पैसे कमाने, विक्रेताओं, होटलवालों का सिर झुठाने के लिये करनी व करवानी ही पड़ती है। वैसे ऐसी वसूली से करोड़ों का मालिक बना पूर्व का खाद्य निरीक्षक पचौरी भले ही अभी भी वसूली करके खुश हो रहा हो पर जवान पुत्र की मौत इन्हीं बदतमीजियों का परिणाम थी, सभी डकैत खाद्य निरीक्षकों को इन सब भ्रष्टाचारों का यहीं परिणाम भोगना होगा। मंत्री, संत्री, नियंत्रक को पैसा खिलाकर कितना भी बच लो पर इस पाप का नर्क यहीं भोगना पड़ेगा जो शीघ्र सामने आयेगा।

भारतीय जानवरों से भी बदतर

प्रथम पृष्ठ का शेष

अर्थात पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अ. रामदास की अरबों डकार कर औषधियों की क्लिनिकल ट्रायल की खुली छूट और औषधि उत्पादन पर बहुराष्ट्रीय कं. को एकाधिकार कर उनके लिये कमाई का रास्ता खोल दिया, इसके परिणामस्वरूप विदेशी कं. ने बिना किसी भी औषधि के चूहों, खरगोश, सुअर और बंदरों पर प्रयोग और उसके परिणामों की समीक्षा किये भारत में जानवरों से भी गई बीती 125 करोड़ जनता के 30 करोड़ विभिन्न बीमारी के मरीजों पर औषधि परीक्षण की खुली छूट दे दी, अर्थात भारतीय मरीज जानवरों से भी बदतर है।

इंदौर के शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा, महाविद्यालय में औषधि प्रयोगों से प्राप्त धन की लूटमार, बंदरबांट के आपसी झगड़ों और सूचना के अधिकार जो केवल शासकीय संस्थाओं पर ही लागू होता है पिछले 4 महीनों से जागरुक समाचार पत्रों यथा राज एक्सप्रेस, पत्रिका आदि के कारण प्रकाश में आ गई वरना बिकी हुई मानसिकता के दैनिक भास्कर, नई दुनिया ऐसी किसी जानकारी को लेन-देन करके प्रकाशित भी नहीं करते, फिर डॉ. राजेश जैन सन् 2006 से इतनी दवाओं के प्रयोग कर चुका है, जितने की जानकारी कालेज के पास भी उपलब्ध करवा दी गई, जबकि सत्यता में यह है कि सीधे ही डॉक्टरों ने अपनी मोटी कमाई के लिये बहुराष्ट्रीय कं. से संपर्क किया, चुलचाल नेट पर समझौता हुआ, 80% डॉक्टरों ने बिना कालेज के डीन को बताये औषधि परीक्षण शुरू कर दिया। औषधियां सीधे घर पर पार्सल से कं. ने भेज दी थी, पैसा खाते में आते ही संबंधित डॉक्टरों ने औने-पौने परीक्षण कं. को नेट से भेज दिये, 90% अधूर्त गिद्ध डाक्टरों ने करोड़ों रु. का ऐसे खेल खेला।

अब यह प्रश्न उठता है, जिन मरीजों जिनमें नवजात शिशुओं से लेकर गर्भवती महिलायें भी थी सभी प्रकार के मरीजों पर प्रयोग किये, इनके प्रयोग स्वरुप मरीजों को अगले ही सेकंड, मिनिट, घंटों, दिनों, सप्ताहों महीनों और वर्षों बाद जो परिणाम या सहगामी परिणाम स्वरुप तो तत्काल में घबराहट, जी मिंचलाना, उल्टी-दस्त, सिरदर्द, पेट दर्द, ऐंठन, सुन्नता, उच्च-निम्न रक्तदाब तो मालूम पड़ जायेंगे, पर जो परिणाम महीनों बाद शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होते ही उपरोक्त के साथ आंखों के सामने अंधेरा छाना, चक्कर आना, अंधत्व, लकवा मार जाना, बालों और दांतों का गिरना, नपुंसकता, शीघ्रपतन, पुरुषों में गर्भ न ठहरना, मासिक धर्म बिगड़ना, शरीर में ऐंठन, स्तन योनि कैंसर स्त्रियों में लकवा आदि दीर्घगामी परिणामों के लिये कौन जिम्मेदार होगा, जबकि ये सब चैतन्य और जीवित रहने पर दृष्टिगोचर होंगे। जबकि हृदयाघात, अचानक हृदयगति बंद होना, मस्तिष्क मृत होने, याददाश्त खोने या मस्तिष्क मृत होने मस्तिष्कीय शिराओं के फटने, कौमा में चले जाने पर क्या होगा? जबकि ऐसी औषधियों के प्रयोग से दीर्घगामी परिणाम सामने आयेंगे। वैसे भी सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि वर्तमान एलोपैथिक मेडिकल साईंस कभी कहता है कि बैक्टीरिया के कारण बीमारी होती है, इसलिये वह कभी एंटीबायोटिक्स की तरफ दौड़ लगाता है, जब उसके पश्चातवर्ती घातक परिणाम आने लगते हैं, तो फिर उनकी दवा में जुट जाता है, बेशक वर्तमान मेडिकल साइंस शल्य चिकित्सा में कुछ हद तक पूर्णतः कदापि नहीं फिर भारतीय एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति वो चाहे शासकीय संस्थानों चिकित्सालयों में हो, घोर लापरवाह, भ्रष्ट, निकम्मे जालसाजों की फौज बैठी हो तो विदेशी कं. गिद्धों पर जो घोर लालची भी है, अपने निकम्मेपन, भ्रष्टाचार और जालसाजी के चलते औषधि परीक्षणों के कैसे सही सावधानीपूर्ण सच्ची और पक्की रिपोर्ट दे सकते हैं। जो कभी नर्सों के साथ, कभी महिला मरीजों से संसर्ग की चाहत में घूमते हों, जबकि औषधि परीक्षण में मरीजों पर किये जा रहे प्रयोगों में मरीजों पर सतत निगरानी, उत्पन्न लक्षणों, विकारों पर निगरानी, औषधि के अनुसार रक्त, रक्तचाप, हृदय की धड़कनों की घंटों में जांच करनी हो, फिर मरीज इलाज के लिये आया हैं, उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए अन्य औषधियां भी दी जाती हैं तो दूसरी परीक्षण वाली औषधियों के साथ में प्रयोग करने से संपूर्ण लक्षणों की जांच और परिणाम कैसे सामने आयेंगे, चाहे वो नवजात शिशु होंर, बालक-बालिकायें या वयस्क, प्रौढ़, वृद्ध स्त्री-पुरुष हों।

निष्कर्ष में, बहुराष्ट्रीय कं. भी न केवल औषधीय परीक्षण में औषधि व धन व्यर्थ में बर्बाद कर रही है। भारतीय डॉक्टरों पर पूरे भारत में करीब 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों, वयस्कों पर 2005-06 से बहुराष्ट्रीय कं. अपनी औषधियों पूरे देश भर के निजी व शासकीय चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा महाविद्यालयों, चिकित्सालयों और अनुसंधान केन्द्रों से लेकर देश के 600 नगरों में चल रहे नर्सिंग होम्स व अनुसंधान केन्द्रों तक में ऐसी ही औषधियों का परीक्षण और अनुसंधान चल रहा है जिसमें अरबों रु. की कमाई देशभर में फैले 2 लाख से ज्यादा ऐलोपैथिक डॉक्टर्स अंटी कर हे हैं। भारत का केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है, पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कं. और विश्व स्वास्थ्य संगठन की कठपुतली बन नाचता है। उनके इशारों पर ही अनुसूची एम लागू कर राष्ट्र की हजारों इकाईयों को बंद करवा दिया गया, ये इकाईयां कार्य न कर सके इसके लिये ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट (संशोधन) अधिनियम 2008 लागू किया गया, जिसमें शब्दों का मायाजाल बिछाकर छोटे, मध्यम वर्गीय औषधि उत्पादकों के लिये आजन्म कारावास और रु. 10 लाख तक के दंड तक की व्यवस्था कर दी गई जबकि इन बहुराष्ट्रीय कं. को बचाने के लिये जानबूझकर शब्दावली को लचीला बना दिया गया। नकली सामान्तर, स्तरहीन, मिस ब्रांडेड, समय बाधित या ब्रांडेड औषधियों से होने वाली हानि में मुआवजे को बढ़ा दिया गया, इसके विपरीत औषधि परीक्षण से होने वाली मृत्यु, पश्चातवर्ती परिणामों के घातक के मरीजों के लिये बहुराष्ट्रीय कं. के खिलाफ न तो दंडात्म कार्यवाही की व्यवस्था की गई और न ही शासकीय स्तर पर अन्य बीमारियों मृत्यु आदि के लिये भी कोई क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई।

इसके विपरीत जो मिस ब्रांडेड, समानान्तर, नकली स्तर हीन दवाइयों के प्रयोगों से घातक परिणाम आने पर भी मरीजों और उनके परिजनों के लिये भी उतने ही धन की व्यवस्था उन कंपनियों से करवाई जानी चाहिए थी, जिन्होंने परीक्षण के लिये औषधियां दी थीं, साथ ही औषधि परीक्षण के लिये चाहे वो निजी संस्थानों, चिकित्सा महाविद्यालयों, चिकित्सालयों व अनुसंधान केन्द्रों में हों, कुल राशि का 50% जिन मरीजों पर परीक्षण किया जा रहा है उन्हें तत्काल दिया जाना चाहिये साथ ही उन्हें सूचित भी किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में उस औषधि परीक्षण के घातक परिणामों के बारे में स्वयं मरीज लिखकर न केवल डॉक्टर्स की वरन ऐसे औषधि उत्पादक कं. को भी भेजे जाने चाहिये ताकि उस औषधि के वास्तविक अच्छे-बुरे परिणामों के बारे में बताया जा सके। औषधि परीक्षण से संबंधित कानूनों पर न केवल राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टरों, वकीलों और बुद्धिजीवियों के बीच खुली बहस करवाकर कानूनों में संशोधन कर तत्काल प्रभात उन्मुक्त दवा परीक्षण रोका जाये, कोई डाक्टर ऐसे दवा परीक्षण करता पाये जाये बिना अनुमति के जिसमें केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन के साथ राज्य के चिकित्सा विभाग और औषधि नियंत्रक ऐसे औषधि परीक्षण के बारे में लिखित अनुमति दी जानी चाहिए, औषधि के परीक्षण के परिणामों से राज्य का और केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन को भी दी जानी चाहिये।

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम तब समय माया के वासी हैं
इंदौर, सोमवार 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2010

म.प्र. रोड डकैत कार्पोरेशन

टोल टैक्स वसूली के बाद भी स्तरहीन सड़कें

सड़कें कैसी भी हो, जनता को लूटकर मंत्री, संत्री को महीना बंटता है

म.प्र. में राज्य के अधिकांश राजमार्गों को बीओटी ठेकेदारों को सौंप दिया गया; जिसके बारे में समय माया लगातार जनता को जागृत करने के लिए 03-04 से लगातार प्रकाशित किया जा रहा है।

इंदौर-उज्जैन मार्ग पर 55 किमी. में शीघ्र ही दो बीओटी शुरू होने जा रही हैं, जो एक निनोरा उज्जैन से 15 किमी. पर बन रही है तब तक बराह इंफ्रा के तराहों की फौज पिछले 4 माह से वाहन चालकों को कच्चे मार्ग से घुमाकर निकाल रही है। इस सड़क पर अभी टोल टैक्स वसूली भले ही नहीं हुई हो परनतु सड़क बहुत अच्छे स्तर की कहीं से भी नहीं कही जा सकती। साथ ही सड़क के दोनों ओर कच्ची मुरम की 5 मी. चोड़ाई का पार्किंग या पासिंग के लिए अभी तक न तो ढंग से ही बनाया गया है, न ही जहां सड़क सामान्य तल से 1 फुट से ज्यादा ऊंची है रिटेनिंग वाल या बेरीकेट्स भी नहीं लगाये गये हैं। इसलिए रात के समय साइड देते समय वाहन सड़कों से नीचे गढों की तरफ उतर चुके हैं। जबकि 80% मार्ग सडक से 1 फुट से 40 इंच तक ऊंचा किया गया है। यही हाल सांवेर से इंदौर तक के मार्ग का भी है। हयां गलपुर सड़क निर्माण कर इंदौर से 14वें किमी. पर जो टर्निंग पड़ती है वहां पर दो फुट चौड़ाई भी नहीं, बाजु में मकान है। सीधे चार पहिया वाहन चालक उन मकानों में घुस जायेंगे।

इस इंदौर-उज्जैन मार्ग 37 किमी. तक इंदौर में होने के बाद भी इसका क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. वैध का कार्यालय उज्जैन में हैं यह भ्रष्ट महामक्कार और गल्फर और वराह इंफ्रा की कठपुतली है। अभी तक सड़कों पर किमी के पत्थर नहीं लगाये गये हैं। सांवेर और धरमपुरी में जो बाइपास बनाये गये उन दोनों गांवों को गल्फर और वरीाह ने 4 महीनों से ज्यादा गुजरने पर भी अभी तक पक्का नहीं किया जो इनकी नीचतापूर्ण मानसिकता को प्रगट करता है। सांवेर के एसडीएम पवन जैन ने 1983 में शासन द्वारा अधिग्रहित जमीनों को दूसरी बार भुगतान कर दिया है। उसकी वसूली भी अभी भी कार्यवाही और एसडीएम पवन जैन पर जानबूझकर शासन को क्षति पहुंचाकर भुगतान के संबंध में भी कार्यवाही शुरू नहीं हो सकी है, जो म.प्र. शासन के भ्रष्टाचार से वसूली में लिप्त होने को स्पष्ट करते हैं।

पूरे प्रदेश में अधिकांश बीओटी 60 किमी पर लगती है परन्तु इंदौर-उज्जैन के 55 किमी. के टुकड़े में दो बीओटी के टोल टैक्स क्यों लगाये जा रहे हैं, ताकि शासन में बैठे रोड डकैत कार्पोरेशन को महीना मिला रहे, आश्चर्य तो इस बात का है कि जिस जनता के वो .....चुने गये विधायक, जनपद अध्यक्ष तक चूंकि धन प्राप्त कर चुके हैं। इन विसंगतियों, स्तरहीन सड़कों के बारे में भी कुछ बोलने को तैयार हनीं हैं। नव., दिस. 10 से दोनों टोल टैक्स वूसली शुरू कर देंगे,जबकि सड़कों पर सुरक्षा बहुत कमजोर है। आखिर सड़कें अगर 1 से 40इंच-50 इंच तक ऊंची उठाई गई है। जैसे क्षिप्रा सेतु पर, सांवेर में सेतु पर और रास्ते की अनेक छोटी-छोटी पुलियों पर भी रिटेनिंग वाल या बेरीकेट्स की व्यवस्था नहीं की गई है। इस रोड डकैत कार्पोरेशन में आने वाला हर इंडियन एव्यूसिंग सर्विस का एमडी चोह तो सुलेमान हो या विवेक अग्रवाल से लेकर अध्यक्ष मु.मं. शिवराज तक बीओटी ठेकेदारों की कठपुतली होते हैं। इन हरामखोरों को ही ठेकेदार चंदा बांटकर जेब में लेकर चलता है। तो क्षेत्रीय प्रबंधक की कौन सुनेगा फिर वैध तो भारी भ्रष्ट भुखेरा खान है। इतनी बार शिकायतें करने के बाद भी ये शुअर न तो वराह इंफ्रा के सिंग पर और न ही गल्फर को जनता की सड़क पर सुरक्षा का रणपाल रख सके इन सड़कों के बनते यात्रियों की मौत हो चुकी है और हजारों इन सड़कों की गिट्टियों पर अपने हाथ पैर तुड़वा चुके हैं। पर ये वराहों की फौज अपनी वाराही मानसिकता कैसे त्याग सकती है। यदि इन सुरक्षा कारणों को लेकर बड़ा आंदोलन नहीं किया तो सड़कों में अचानक दचके लगने को सुधारा जायेगा न 80% सड़क जो सामान्य तल से 1 से 40 इंच-50 इंच तक ऊंची है

बैरीकेट्स ही लगाये जायेंगे और टोल टैक्स वसूली शुरू हो जाएगी।

इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, इच्छापुर 203 किमी. मार्ग जिस पर बीओटी शुरू हुए 6 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। अभी भी न केवल 10%-20% सड़क जो पहाड़ों के बीच से गुजरती है, न तो रिटेनिंग वाल है, न हीं पर्याप्त बैरीकेट्स। सड़कों पर केवल पेंचवर्क ही अशोका बिलकॉन या लीला वाले आधू अधूरे करते हैं। परन्तु समझौते की शर्त के अनुकूल ये हरामखोर भ्झी 5-6 वर्ष गुजर जाने पर भी सड़कों का त्रिवर्षीय पुर्नडामरीकरण नहीं कर रहे हैं। 7 वर्ष गुजर जाने के बाद भी 17वें किमी. की सिंगल लेन पुलिया अभी भी दो लेन नही हो पाई है। 22वें किमी. से 23वें किमी. सिमरोल थाने तक की सड़क भी ऊबड़ खाबड़ हो रही है। 25वें किमी. से 25वें किमी. घाट मार्ग भी दयनीय अवस्था में है। यही हाल 33वें से 36वें किमी. तक है। 60वें किमी. में 65वें किमी. तक 68 से 70वें किमी. की भी यही कहानी है। हर गांव के प्रारंभ से अंत तक इनकी सड़कें दयनीय हालत में ही हैं। जब क्षेत्रीय प्रबंधक पीडी वैश्य से पूछा गया तो उनका कहना था कि मैंने कं. से कहा है करने को, दूसरी ओर कं. के क्षेत्रीय प्रबंधक करेजकर से बात की गई, तो उल्टा ही जवाब मिला अभी बरसात खत्म हुई है। अब काम शुरू करेंगे, जब कहा गया कि सड़कें इस हालत में हैं। काम जब शुरू करेंगे जब पूरा हो जाये तब तक टोल टैक्स वसूली बंद कर दो। जवाब दिया मिला कि ऐसा कहीं होता है क्या?

यही हाल लो.नि.वि. देवास के अंतर्गत देवास बाईपास का भी हैं वहां पर देवास मक्सी मार्ग की राष्ट्रीय राजमार्ग की क्रॉसिंग पर रा.रा. पर इन हरामखोरों ने भारी ऊंचे स्पीडब्रेकर मक्सी और देवास मार्गों पर बना रखे हैं।

प्रदेश के 40 से ज्यादा राजमार्गों पर इस डकैत कार्पोरेशन ने लूट की व्यवस्था एक्सप्रेस हाइवे स्तर के मार्गों से ज्यादा करवा दी; इसके साथ ही इनकी निर्माण लागत पर ठेकेदार के धन का विनियोजन एक्सप्रेस हाइवे के मार्गों की तरह ही दिखाया गया। इसके विपरीत इस रोड डकैत काम्र के इंजीनियरों के साथ ही संबंधित बीओटी सड़क निर्माण की सलाहकार फर्मों ने निर्माण के स्तर का अनुमान देवास भोपाल मार्ग 180 किमी. पर 3बीओटी लगाने के बाद भी, वही हाल इंदौर-उज्जैन मार्ग पर भी सड़कों की नई टर्निंग को इतने बत्तमीजीपूर्ण तरीके से निर्मित किया है कि तीनों कस्बों से आने जाने वाले, इन सड़कों के घुमाओं से टकरा जायं, अधिकांश टर्निंग्स पर 50-60 किमी. से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने और घुमाने पर चौपहिया वाहन पलट जाएं या अन्य तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं। चौथा गांवों के क्षेत्रों में ग्रामीणों को सड़कें पार करने के लिए सड़क के नीचे से या ऊपर से जाने के लिए मार्ग नहीं बनाए गये। इसलिए एक तरफ तो सड़कें पार करना ग्रामीणों के जीवन को न केवल असुरक्षित वरन इन सड़कों के बनने के बाद सैकड़ों ग्रामीण आबादी के लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। कईयों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ टोल टैक्स देने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में ये सड़कें वाहन चालकों को भी दुर्घटनाग्रस्त कर रही हैं।

5वां इंदौर-उज्जैन के सांवेर, धरमपुरी और नावदापंथ पर इस हरामखोर महानीच ठेकेदारों वराह और गल्फर द्वारा ग्रामीण मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली इन बाइपास के मुख्य मार्गों की सड़कों को दोनों किनारों से 4' से 7' फुट ऊंचा कर दिया और मार्ग के खतरनाक ढंग से मोड़ दे दिया। इससे गांव में घुमने वाले और निकलने वालों के वाहनों को न तो गांव से बाहर निकलने वाला दोनों तरफ ढंग से देख पाता है और न हीं इस राजमार्ग पर चलने वाला, इससे वह घोर दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र में बदल गये हैं। फिर इन ठेकेदारों ने वायपास की तरफ अगले 30-40वें मीटर पर हर बायपास पर ढाल दे दिया। दोनों तरफ फिर जहां बीच गांव से सड़क इस बायपास को क्रास करती है फिर वहां ऊंचा कर दिया। इसकी वास्तविकता नावदा पंथ और धरमपुरी के बायपासों पर न केवल मार्ग की बत्तमीजीपूर्ण स्तर हीनता का अहसास कराती है। इन दोनों ही बायपासों पर 40-50 किमी. की गति से वाहन चलाने के लिये ये हादसे मजबूर कर देते हैं; जबकि 55 किमी. में दो टोल टैक्स हर बार आने-जाने पर देना पड़ते हैं।

रेगिरस्तानी ऊंटों को ऐसे चलने में मजा आता है पर मुफ्त में फिर ये रेगिस्तानी वराहों की फौज रेत में ऊबड़ खाबड़ चलने की आदी है। उसका असर प्रदेश की सड़कों पर तो पड़ेगा ही। फिर जैसा ठेकेदार वराह, वैसे ही उनके सलाहाकार भ वराह, वैसे ही सलाह देंगे। इनकी नीच वराही मानसिकता तो इसी बात से झलकती है कि सड़के बनाते समय वाहन चालकों को जो नियमिता से आवाजाही करते है। बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। कहीं बड़े-बड़े पत्थर डाल देते हैं तो कहीं मोटी बारीक गिट्टी बिछाकर दो पहिया वाहन चालकों को ये गल्फर और वराह के शूअर मौत का पूरा इंतजाम कर देते हैं। अनेकों मौतों के बाद भी ये अपनी नीचता से बाज नहीं आए, जबकि श्रीअजमेरा इस डकैत कार्पोरेशन के सीई संचेती, क्षेत्रीय प्रबंधक आरके वैध को फोन पर और कार्यालय जाकर तक कहा।

इस डकैत कार्य में मुख्य अभियंता से लेकर क्षे.कार्या. में बैठे 34 यंत्री तक इस डकैत कार्य के इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के सुपर डकैत एमडी के बंधुआ मजदूर हैं, जो ठेकेदार से सीध करोड़ों में धन डकारकर हर वैध अवैध कागजों, प्रमाण पत्रों पर इन बंधुआ मजदूर इंजीनियरों से हस्ताक्षर करवा लेता है।

प्रदेश के अन्य स्थानों से प्राप्त समाचारों से के अनुसार ठेकेदारों द्वारा वसूली तो हर वर्ष बढ़ा कर ही की जा रही है। परन्तु दो-तीन वर्ष पुरानी सड़कों का हाल लोक निर्माण विभाग के रख-रखासव से भी ज्यादा घटिया है। जितने भी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में ये सड़कें गुजरती हैं वहां तिमाही, छमाही या सालाना बांटकर ये बीओटी ठेकेदार कैसे वसूली कर रहे हैं ये उस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों से ही पूछो और सड़कों का स्तर क्या हो रहा है।

वैसे भी बीओटी ये बता दें कि समय माया के लगातार प्रकाशन से रोड डकैत कार्पोरेशन वाले भी न केवल भयभीत हैं वरन वे ये भी मानते हैं कि जैसा समय माया प्रकाशित कर रहा है यदि सारे प्रदेश के दैनिक बड़े समाचार पत्र छापना शुरू कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल ही में सडत्रकों की डकैती और चल सकेगी। सरकार को सारे बीओटी ठेकेदारों को भुगतान पर हटाना पड़ेगा। हम अपने पाठकों को बता दें बीओटी सड़कों के विरुद्ध ट्राँसपोर्टर एसोसिएशन लामबंद हो चुका है और दिल्ली में भी बीओटी ...की मांग कर चुका है। सड़कों की टोल टैक्स की डकैती को अभी चरम पर आने में दो-तीन वर्ष का समय है, चरम पर आते ही बस और ट्रक आप्रेटर्स एसोसिएशन इनके विरुद्ध भारी आंदोलन करेगा, तो केंद्र और राज्य दोनों को ये दुकानदारी समेटनी ही होगी। फिर लो.नि.वि. एक्सप्रेस हाइवे का फिर से निर्माण करेगा।

---

20 करोड़ भूखों की दबा दी चीखें

प्रथम पृष्ठ का शेष

प्रिंस चार्ल्स द्वारा खेलों का उद्घाटन करवाकर इन अंग्रेजों की रखैलों की पैदाइश जिन्हें सत्ता पुराने धूर्त, अय्याश, राजाओं की तरह, मौज, मस्ती, भोग, विलास का साधन होती है,धूर्त गिद्ध कांग्रेसियों ने सिद्ध कर दिया, क्या सिखाता व सिद्ध करता है। वर्तमान की पीढ़ी को कि हमारा इतिहास गुलामी का था, वर्तमान में भी हमने गुलामी ओढ़ रखी है। भविष्य भी हमारा यदि राहुल, सोनिया के चूजे के हाथ गया तो हमारा भविष्य भी ब्रिटेन, विशप की इटली, विश्व के गुंडे अमेरिका और यूरोप का गुलाम ही रहेगा। हम हमारी जनता, हमारी भूमि जो अच्छा पैदा करेगी, उसे वो यहां के पैदा करने वाले भूखे रहकर अपने आकाओं को भोगने के लिए सौंप देंगे और दस बीस वर्षों में जो हमने अपने देश की आबादी के 90% लोगों से पेट्रोल, डीजल जैसी आवश्यक वस्तुओं 72% टैक्स वसूलेंगे, सड़कों पर चलने, का पैसा वसूलेंगे और हर कदम चिल्लायंगे कि हमारा पैसा नहीं है, आधारभूत आवश्यकताओं के लिए विदेशों से अरबों करोड़ रु. कर्ज लेकर मूलभूत सड़क, बिजली, पानी की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। बेशक वह कर्ज लेकर स्वयं भी जियेंगे और जनता से कमरतोड़ महंगाई से वसूलेंगे। जब पैसा ज्यादा इकट्ठा हो जाने जैसा लगेगा, आमजन के धन का खेल विश्व की सुंदरियों को खेल

प्रिंस चार्ल्स द्वारा उद्घाटित - न तू हिन्दू रहेगा, न मुसलमान रहेगा, तू हिन्द की स्वाभिमानहीन औलाद है, तु गुलाम की औलाद है, गुलाम रहेगा।

के बहाने बुलाकर सौंदर्य के चक्षु रसपान करेंगे जो विदेशी आका प्रिंस चार्ल्स जैसे अन्य खिलाड़ी आयेंगे उन्हें अपने देश की सुंदरियां पेश करेंगे। यह सब अव्यक्त रूप से चलेगा। स्वाभाविक है। इस रूप में इस व्यवसाय से भी थाईलैंड और इंडोनेशिया की तरह भारत में भी विदेशी मुद्रार्जन होगा। योजना आयोग के स्वयंभू अध्यक्ष मोंटैक सिंग अहलूवालिया इस रुपए 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बर्बादी पर क्या दलील देंगे। बेशक यह रु. 1 लाख करोड़ का रु. 25000 करोड़ तो स्विस बैंकों में चला गया होगा रु. 2500 हजार करोड़ दो नं. के धंधें में भ्रष्टाचार की कमाई को खपा दिया गया होगा। सच्चे अर्थों में वास्तविकता में लाभ रु. 25 से 30000 करोड़ का ही हुआ। सूचना के अधिकार वीरों ने देश की खातिर अपना श्रम समय और पैसा बर्बाद कर जो जानकारियां निकाली उसमें रु. 8000 के फौज का किराया रु. 45000 के बिल लगाये गये से अंदाज लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से जन धन की होली मनाई गई है।

आखिर इस धन की कहां से व्यवस्था की गई। इसमें योजना आयोग का सरदार मोंटेक सिंग अहलूवालिया का कोई वक्तव्य क्यों नहीं आया, जबकि शासकीय कोष्ठ से रु. 1 लाख करोड़ का चंदन लगा दिया गया। जनधन के इस खेल की चकाचौंध आम मध्यमवर्गीय से लेकर ऊपर के करोड़पतियों, अरब पतियों को तो आकर्षित कर सकती है, विदेशों मे बैठे लोगों को भारत की भव्यता का अंदाजा लगवाया जा सकता है परन्तु जिन 20 करोड़ लोगों को 1 वक्त की और 20 करोड़ लोगों को दो वक्त की रोटी ढंग से नसीब नहीं होती उन्हें इस चकाचौंध से क्या फर्क पड़ा है। इससे जिन्हें दो वक्त की मुश्किल से मिल पाती थी उनके लिए अगले कई सालों तक महंगाई की मार से और मुश्किल हो गया, आखिर इस रु. 1 लाख करोड़ का भुगतान तो आम आदमी की जेब और पेट से किया जाएगा। जिन मेहनतकश मजदूरों की निश्चित मजदूरी मिलनी है। उन्हें वो इस महंगाई से कमर टूट ही रही है। इस रु. 1 लाख करोड़ से पूरे देश में चल रही बीओटी का भुगतान कर सारी सड़कें मुलकरणयी की जा सकती थीं। ....पॉवर प्लांट कोयले या पानी के खड़े किये जा सकते थे पर इससे इन धूर्तो को एक मुश्त इतनी कमाई होती नहीं।

आईएएस सुलेमान-जहां तू रहेगा, बर्बादियों की दासतां रहेगी

निजी कं. से बिजली खरीदी, अरबों की कमीशनखोरी

लो.नि.वि. की सड़कों के निजीकरण के बाद, विद्युत मंडल की बर्बादी का तांडव

जनता को लूटने निजी कं. से जिसमें रिलायंस पावर और रिलायंस एनर्जी, इस्सार से रु. 2.45 पै., प्रति यूनिट में रु. 1 प्रति यूनिट का कमीशन डकारने के लिए ऊर्जा सचिव आजमगढिया आतंकवादी ने पहले, ऊर्जा सचिव बनते ही संयज गांधी विद्युत केंद्र की आठों यूनिट बंद करवा दी।सारणी को भ ठप्प करवा दिया, ताकि ये हरामखोर मु.मं. शिव चौहान, ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा सचिव, सारे श्वान एक स्वर में लेकर बता सके, कि ये सारे यूनिट बंद हो गये, जबकि अभी सारे बांध भरे हुए हैं। ओंकारेश्वर, इंदिरा सारग, सरदार सरोवर से जो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम से ये हरामखोर सारे सत्ताधीश कमीशनखोर शूअरों की फौज न तो अपने हिस्से की बिजली लेती है और न ही उनके हिस्से की बिजली खरीदती है। दूसरी ओर पिछले दिसम्बर से सारणी, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्रों की एक-एक यूनिट को एक-एक करके बंद करवा दिया, जबकि हरामखोरों ने आम घरेलू उपभोक्ता लघ्ज़ु उद्योगों, व्यापारिक संस्थानों से लागत से 10 से बीस गुना वसूली करने के बाद भी दूसरी तरफ कई उद्योगपतियों पर करोड़ों रुपए के बिजली बिल बकाया होने पर भी उन्हें सस्ती बिजली प्रदान भी की और बिलों में भी छूट दी, बिल भी कमीशन लेकर या रिश्वतखोरी करके कम और माफ किये गये। दूसरी ओर जबसे विद्युत मंडल को बांटकर विद्युत वितरण कं. बनाकर यहां पर इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के धूर्तो को बैठाया गया, इन हरामखोरों को विद्युत की क, ख, ग नहीं आती। इनको आता है बस खरीदी में मेंटेनेंस बिल बढ़ाने, घटाने और माफ करने या किश्ते बनाने में, वसूली करता आती है। इनकी बला से म.प्र. विद्युत मंडल कल का बंद होता आज बंद हो जाए।

पूरे म.प्र. विद्युत मंडल में जबसे इन आईएएस की परछाई पड़ी है पूरा मंडल डुबोने पर तुल गये हैं। 1994 से लगातार कीमतें बढ़ाई जाती हैं। हर साल और कई बार तो साल में दो बार इसके बाद भी चूंकि हर इंडियन एब्यूसिंग सर्विसज के अधिकारी को हरामखोरी का दाड़ में खून लग चुका है। रु. 3000 से 400 करोड़ प्रतिवर्ष जब उसे इतना चाहिए तो एस इंजीनियर...संभागीय, अधीक्षण और मुख्य अभियंता को भी इतना ही चाहिए अर्थात रु. 600 करोड़ की कमाई कके लिये रु. 1200 से 1800 करोड़ का घाटा जो पश्चिम विद्युत वितरण कं. को इस पूर्व के.सी. एमडी जो वर्तमान में इंदौर में ही कलेक्टर है लगा चुका है। अब सीएमडी बना कर बैठाये गये आईएएस आहूजा ने भी यही करना है। इस प्रकार दोनों हाथों से लूट और डकैतियां डालकर इसे निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है। अपनी काली करतूतों को कोई जनता का आदमी न समझ सके इसलिए म.प्र. विद्युत मंडल ने बहुत सारी न केवल फाइलें उड़ा अपनी इंटरनेट पर चल रही वेबसाईट एनर्जी/एमपीईबी से उड़ा दी है और डाटा विद्युत उत्पादन के आंकड़े में ये हरामखोरों की फौज 2009 के दिखा रही है। साथ ही अधिकांश उत्पादन केंद्र पुराना, अधूरा, बल्कि भ्रामक भी है।

इसमें एनएचडीसी के इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, सरदार सरोवर के जल विद्युत केंद्र ही गायब हैं।

जबकि म.प्र. का उसमें 50% हिस्सा है। आखिर ये जालसाजियां क्यों जिंदा रही हैं। ताकि जनता के सामने बिजली की कमी का रोना रोकर रिलायंस इस्सार, टाटा, जिंदल व अन्य निजी कंपनियों से महंगी बिजली खरीदें और प्रति यूनिट रु. 1 के स्थान पर 0.50% की कमीशन मिला तो हर दिन करोड़ों रु. का कमीशन मिलेगा। वैसे जनता को बता दे कि उच्चदान वाली लाइनों से विद्युत के भुगतान की दरें निम्न दान की लाइनों से अलग होती हैं। वैसे भी जहां इन गिद्ध इंडियन एब्यूसिंग सर्विस के अधिकारियों के कदम पड़ते हैं ये गिद्धों की फौज नोंच कर बर्बादी की दास्तां ही लिखी है। आजमगढ़िया आतंकवादी जब लोक निर्माण विभाग में था, इस श्वान 4 वर्ष से राज्य के राजमार्गों का लोक निर्माण विभाग से लेकर सब पर बी.ओ.टी. के टोल टैक्स वसूली करने वाले ठेकेदारों को लोक निर्माण विभाग के कार्य की दरें 4 गुने से लेकर 10 गुने तक के प्राक्कलनों को कमीशन उठाकर स्वीकृत किया। साथ ही जालसाजीपूर्ण तरीके से ठेकेदारों गिट्टी, पत्थर, रेती की रॉयलटी म.प्र. शासन को दिलवाने की अपेक्षा लगभग पूरे प्रदेश उन चार वर्षों में शातिर ने बी.ओ.टी. ठेकेदारों को रॉयल्टी का धन जमा करने की भी छूट दिलवा दी जब समय माया ने इन घोटालों को प्रकाशित किया तो हल्ला मचा जबकि टोल टैक्स को हर ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने स्वीकार किया कि रॉयल्टी की भारी चोरी की गई है। विधानसभा में हल्ला मचा तो वहां से विदाई हो गई। वहां पर भी ये धूर्त श्वान अपने इंजीनियरों लो.नि.वि. के साथ ही सड़क विकास निगम में भारी ....और उंगता था। विद्युत मंडल में भी श्वान अपनी कमाई के लिये जानबूझकर अमरकंटक दो के 120×2 ....210 मेवा. का एक कुल 450 मेवा. सतपुड़ा-1 के 62.5×5, सतपुड़ा 2 के 200+210, सतपुड़ा-3 के 210×2 कुल 112.5 को और संजय गांधी वीरसिंगपुर-1 के 210×2 में 07 अमरकंटक 210×2 मेवा. संजय गांधी विस्तार का 500×1मेवा वीरसिंगपुर कुल 1340 मेवा. अर्थात 2922.5 मेवा. ताप बिजली संयत्रों की कमी को भले कमी बतारकर कभी संयंत्रों में किसी भी बहान बंद करने का षडयंत्र कर प्रतिदिन पूरे प्रदेश में पहले अंधेरा फिर निजी कंपनी से खरीदी दिखाकर जबकि ये हाइटेंशन लाइन से बिजली मेवा में घंटों के हिसाब से करोड़ों में खरीदी करेंगे उसे फिर ट्रांसफार्मरों से निम्न दान में परिवर्तित करेंगे जो मात्र 50 पै. से लेकर 1 रु. यूनिट पड़ेगी जिसे रु. 2.45 की खरीदी दिखाकर न केवल सुलेमान वरन मु.मं. शिव चौहान, ऊर्जा मंत्री, से लेकर विद्युत वितरण कं. में बैठे सीएमडी भी मोटा कमीशन डकारेंगे।

दूसरी तरफ सारे इंजीनियर्स मंडल के सब जान हरे है। परन्तु इन्होंने जिसे अपना नेता जो इंजीनियर्स एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष बना बैठका है चूंकि भारी भ्रष्ट है, लगभग रु. 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उसने भ्रष्टाचार से कमाई है। वह जी.के. वैष्णव जो निजीकरण की .....बोलता है। अध्यक्ष होने के नाते पहले अपने हित साधता है। स्वाभाविक है पहले वह अपना भला करेगा भाड़ में जाए मंडल, उसकी कं. समय माया सन 2001 जन. में छाप चुका है। इसकी और अनेकों भ्रष्ट इंजीनियरों की करतूतें जिसमें 16 स्थानांतरण एक साथ हुये जिसमें .....वैष्णव, एसके राय जैसे अनेकों थे।

जहां तक रिलायंस, टाटा, इस्सार, जिंदल से व अन्य से बिजली खरीदने का सवाल है, यदि एक टुकड़ा इसकी तरफ फेंक भी दिया तो वैसे ही वैष्णव को इंदौर में टिके रहने, अपनी अवैध संपत्तियों को बचाने के लिए सुलेमान की गागरौनी बोलता ही है। फिर इन इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारियों को भले ही कुछ आये जाये नहीं, धन और रोब ऐंठने के लिए अपना दबदबा बनाये रखने के लिए अपने मातहतों के कान ऐंठना इनके प्रशासन के गुण हैं। आजादी के बाद नेहरू व उनके साथियों ने पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्थाओं का बारीक अध्ययन कर उसके गुण दोषों पर विचार कर ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को देश की समुचित उन्नति के लिये लागू किया था, जो 40 वर्षों तक सफलता के साथ चला और पूरे अमेरिका और यूरोप को लगा कि यदि भारत इसी व्यवस्था से चलता रहा तो पूरी दुनिया का सिरमौर बन जाएगा जो उन्हें हजम नहीं हुआ।

यदि एक तरफ तेजी से आबादी बढ़ रही थी और यूरोप में सस्ते माल की आपूर्ति कर उनकी अर्थव्यवस्था चौपट कर रहे थे उन्होंने न केवल भारत और एशियाई देशों से किये तो दूसरी तरफ भारत में लाभ कमाघ, सस्ता श्रम, सस्ता कच्चा माल, भारी वर्षभर चलने वाला बाजार, सस्ती मशीन, सस्ता प्रबंधन अर्थात 5 एम उपलब्ध थे कब्जा करने के लिए विश्व व्यापार संगठन की चाल चलकर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ धकेल कर प्रबंधन, प्रशासन का भ्रष्टाचार का रक्त चढ़ाकर कब्जा करने की तैयारी है। फिर म.प्र. विद्युत मंडल भी 90 तक लाभ कमाने वाला संस्थान था। कैसे घाटे में आया, जबसे ये शुअर आईएएस मंडल के सीएमडी बने ये ...नोंच कर खाते रहे।

नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण -इंदिरा सागर नहरें

अरबों रु. भुगतान, कार्य फिर भी अधूरे

ठेकेदार बीसी बियानी को करोड़ों का भुगतान, फर्जी प्रमाण पत्रों से इंजीनियर

इंदौर। संभाग के खरगोन जिले में म.प्र. प्रशासन के अरबों रु. का भुगतान कर दिया गया परन्तु जिले में चल रही नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकारण के अंतर्गत बनने वाली नहरें वर्षों से अधूरी पड़ी हैं, जिससे न केवल किसानों वरन शासन को भी करों से मिलने वाले राजस्व की भारी हानि उठानी पड़ रही हैं

सनावद स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय और इसके अंतर्गत कार्यरत अधिकांश संभागों में बैठे भ्रष्ट इंजीनियरों के ठेकेदारों की कठपुतली बन करोड़ों रु. का कमीशन डकार कर अंधों की रेवड़ी की तरह ठेकेदारों जिसमें मुख्य रूप से बीसी विहानी जो पिछले दस वर्षों से ज्यादा समय विभिन्न संभागों में ठेके लेकर धन डकार रहा है को मुदित नेत्रों से संभाग क्र. 21 का अभियंता सी.एल. आर. के कार्यों के अधूरे होने के बाद भी भुगतान करवाता जा रहा है।

नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण में चूंकि अरबों रु. का लूट-पाट खेल पिछले 1975 से चल रहा है। इसलिये हर मुख्यमंत्री और इस विभाग के मंत्री बनने की चाहत हर

किसी को होती है। वर्तमान भाजपा शासन में मुख्य मंत्री शिवराजसिंह चौहान अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल भी स्वाभाविक है इस भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण में कमीशन बंटोरने में लगे हैं। सिंचाई और नहरों का काय्र संपन्न हो न हो, इंदिरा सागर नहरों का मुख्य अभियंता इंगले जो पुराना ऐतिहासिक महाभ्रष्ट और जालसाज रहा है इसीके कार्यकाल में रु. 212 करोड़ का ओंकारेश्वर दायीं तट नहर का ठेका सोम कंस्ट्रक्शन दिल्ली के माध्यम से पुराने ग्वालियर के डकैत ठेकेदार कर्णसिंग को दिया गया था। नहरों में कांक्रीट लाइनिंग 30 से 35% अभी तक अधूरा है, जो कार्य टन्र की प्रोजेक्ट के आधार पर दिए। 08 तक हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए था दिसंबर 10 तक पूरा होने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है, परन्तु इस धूर्त मक्कान ने न केवल उसको अधिकांश भुगतान करवा दिया वरन कार्य सितंबर 08 तक पूरा होने के बाद तीन वर्ष की गारंटी जो अगले वर्ष पूरी हो जायेगी का अधिकांश समय भ अधवानी नहरों में ही गुजरवा दिया जाता है।

ताकि नहरों के फूटने पर न केवल ठेकेदार को कोई जवाबदारी न रहे वरन संबंधित कार्यपालन यंत्री इंगले जो अब मुख्य अभियंता है भी 15 प्रतिशत कमीशन अर्थात रुपए 33 करोड़ का कमीशन डकारने के बाद भी बचा रहे। इसी प्रकार इंदिरा सागर नहरों में अतर सुंवा का कार्य रुपए 12 करोड़ कार्य बी.सी. बिहानी को सन् 2000 में किया गया था इस हरामखोर जालसाज ने इस कार्य को सन् 2010 तक भी न केवल पूरा नहीं किया, इसके साथ ही रूपखेड़ा, देलगांव, लासवां, ढकल गांव, नलवां, नीलकंठ, डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर और सब माइनर का कार्य रुपए 23.92 करोड़ का 2002 में इसी बीसी बिहानी ने लिया था, पीपरीखेड़ा रुपए 4.65 करोड़ मार्च 2009 में बीसी बिहानी ने ही लिया था इस धूर्त बीसी बिहानी ठेकेदार को वितरणी शाखा में रुपए 22 करोड़ का अंतर सुंबा में रुपए 6 करोड़ का, पीपरीखेड़ा में रुपए 2.50 करोड़ का भुगतान, इस फर्जी कोटे के का.मं. सीएल आरघ ने अपना 20% कमीशन डकार कर दिया, इसलिए बीसी बिहानी अधीक्षण यंत्री और मुख्य मंत्री को भी कभी न तो सुनता है, न उनके निर्देशों पर कोई बयान देता है। जबकि का मं. आरघ ने डिस्ट्रीब्यूटरी में रुपए 2 करोड़ का रुपखेड़ा, बासवा, नीलकंठ में अतरसुंबा में 1.50 करोड़ बिना कार्य का भुगतान करें दिया गया, वहीं पीपरीखेड़ा, में रुपए 50 लाख बिना तकनीकी स्पेशिफिकेशन के बिना फार्म के रुपए 50 लाख का भुगतान किया गया।

प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान एवं नर्मदा घाटी विकास के मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल के निर्देश पर इंदिरा सागर परियोजना मुख्य नहर की आरडी 56 किलोमीटर (मोखनगांव), 58 किलोमीटर 64 किमी (अतरसुंबा) 64 किमी से 67 किमी (पीपरीखेड़ा) नहर का कार्य बीसी बियाणी ठेकेदार को युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए थे। विभाग के अधिकारियों कार्यपालन यंत्री सीएल आरख, अनुविभागीय अधिकारी विजय कोल्हे, उपयंत्री नरेन्द्र सिद्दा द्वारा अतरसुंभा पीपरीखेड़ी में नाली खोदकर मुख्य नहर में पानी जीरों किलोमीटर से 117 किमी तक प्रवाहित करवा दिया। बीसी बियाणी ठेकेदार द्वारा अतरसुंभा पीपरीखेड़ा में छोड़े गए अधूरे नहर निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं किया जा रहा है। मुख्य अभियंता इंदिरा सागर परियोजना नहरें सनावद के जीआर इंगले ने बीसी बियाणी ठेकेदार के सभी अनुबंध निरस्त करने के दो माह पूर्व सीएल आरख कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग 21 सनावद को लिखित निर्देश जारी किए गए थे। किंतु कार्यपालन यंत्री श्री आरख ने नरेन्द्र सिद्दा उपयंत्री एवं एसडीओ विजय कोल्हे पर दबाव बनवाकर बीसी बियाणी ठेकेदार को रूपखेड़ा, ढकलगांव नीलकंठ नलवा, बासवा वितरण शाखाओं में एवं डिस्नेट कार्यों में अतरसुंबा और पीपरीखेड़ा के बिना काम के नहर निर्माण का लाखों रुपए का भुगतान बीसी बियाणी को कर दिया गया है।

इतने निर्देशों के बाद भी सीएल आरघ ने तो बीसी बिहानी के ठेके को समाप्त किया है। न ही अगस्त 10 से बीसी बिहानी ने साइट पर जाकर देखा तक नहीं, जबकि इसके द्वारा कार्य न करने पर मधुकॉन कंस्ट्रक्शन कं. द्वारा मुख्य नहर में जो लाइनिंग की जाना थी वह भी अधूरे कार्य के चलते नहीं कर पाने के कारण यह शासन पर आइडर चार्जेस के अंतर्गत मशीनरी और मजदूरी के लिए रुपए दो करोड़ की क्षतिपूर्ति का दावा मप्र शासन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण पर ठोंकने की तैयारी में है।

शासन ने 114 सहा. यंत्रियों को कार्यपालन यंत्रियों के रूप में पदोन्नत किया है। पुराने वर्षों से जमे कार्यपालन यंत्रियों को हटाकर शीघ्र ही पदोन्नत का.यं. को मैदानी कार्यों में लगाने की है।जल संसाधन विभाग द्वारा 114 सहायक यंत्रियों को पदोन्नत कर कार्यपालन यंत्री बनाया गया है। जल संसाधन विभाग द्वारा सहायक यंत्री को पदोन्नत कार्यपालन यंत्रियों की विस्तृत पदस्थापना कर दी गई है। 31 पदोन्नत कार्यपालन यंत्रियों की सेवाएं नर्मदा घाटी विकास विभाग को सौंपी गई है। एक भाजपा नेता द्वारा दूरभाष पर विभाग के मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल एवं प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ओ.पी. रावत से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि नर्मदा विकास विभाग में तीन वर्ष से अधिक जमें मैदानी कार्यपालन यंत्रियों को उपाकरण किया जाएगा एवं पदोन्नत कार्यपालन यंत्रियों की पदस्थापना मैदानी अधिकारियों के रूप में की जाएगी। इस फैसले से विगत पांच वर्षों से भी मैदानी पदस्थ कार्यपालन यंत्री विकास विभाग संभाग 14 ठीकरी, आरपी उइके, पुनासा के एम.एस. मीना, 21 सनावद के सीएल आरक, 20 मंडलेश्वर एसएम जैन को हटना तय है। मंत्रीजी ने यह भी आश्वासन दिया है कि जिन सहायक यंत्रियों के पास कार्यपालन यंत्री का अतिरिक्त प्रभार है उन्हें 30 सितंबर तक मूल पद पर वापस भेजा जाएगा।

समय माया के संपादक अजमेरा एसपी कुमार ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत अजा, अजजा के मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र मांगे थे, जो संभाग 21 के कार्यपालन यंत्री ने देने की अपेक्षा न केवल टाला, वरन् का.यं. सीएल आरघजो कटनी का रहने वाला है, ने भी जाति प्रमाण पत्र छतरपुर का ही नियुक्ति के समय लगाया इसी प्रकार पुनासा सं.क्र. 28 का का.यं. एम.एस. मीना भी विदिशा जिले की सिरोंज तहसील का रहने वाला नहीं है, अर्थात यह भी अजजा का पात्र नहीं है। अर्थात इनके जाति प्रमाण पत्र भी फर्जी हैं। जबकि आरक्षित वर्ग में नौकरी कर शासन को अरबों रुपए चंदन लगा चुके हैं। इसके साथ इनके प्रभा पत्रों की भी जांच होनी चाहिए।

पृथ्वी पर हम तब समय माया के वासी हैं
साप्ताहिक समय माया
इंदौर, सोमवार 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2010

म.प्र. लोक सेवा आयोग म.प्र. जालसाजों का अड्डा

कोई भी शासकीय विभाग नहीं देना चाहता मूल निवासी व जाति प्रमाण पत्र की कापी

४० से ६०प्रतिशत फर्जी प्रमाण पत्रों पर सत्ताभोग रहे अधिकारी व कर्मचारी

म.प्र. में स्कूलों में बंटने वाली छात्रवृत्ति विभागों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर छोटे पदों से लेकर उच्च पदों पर बैठे डॉक्टर, इंजीनियर्स, तहसीलदार, सहायक, उप जिलाधीश के पदों पर जीवन और सत्ता का सुख भोग रहे हैं। जबकि असली अनुसूचित जाति व जनजाति के 20-25% के अतिरिक्त 75% लोग अभी भी पुराने रोजगार धंधों से जुड़े रह कर अपना पुस्तैनी कार्य ही कर रही हैं। साथ ही सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे घोर अभावों में रहकर भी शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार के कोई और कहीं पर भी लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से वो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर स्तर की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो अच्छी नौकरी की बात ही छोड़ो।

फर्जी जाति प्रमाण पत्रों का खेल स्कूल से ही शुरू हो जाता है। स्कूल निजी और शासकीय स्कूलों के संचालक असली नकली और वास्तविकता से परे जाकर अपने स्कूल में अधिकतम विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिलवाने और उसमें से अपना हिस्सा डकारने के चक्कर में जिलाधीश कार्यालयों, तहसील कार्यालयों, सरपंचों तक को पैसा बांटकर, दूसरी ओर संरक्षकों, माता-पिताओं से भी पैसा ऐंठकर आंख मींचकर जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अधिकतम छात्रवृत्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सभी निजी और सरकारी स्कूलों में नीचे से लेकर ऊपर तक धंन बांटने के कारण आसानी से जाति प्रमाण पत्र बनवाकर छात्रवृत्तियां प्राप्त करते रहते हैं। प्रदेशभर के 95% स्कूल इन्हीं धंधों से पिछले 40 वर्षों से फल-फूल रहे हैं। इससे शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रधान शिक्षक, बाबुओं और लेखाकारों सबकी कमाई जुड़ी रहती है। स्वाभाविक फर्जी जाति प्रमाण पत्रों का खेल स्कूलों से शुरू होकर कॉलेजों में भी ऐसा ही चलता रहता है और बाद में इसी आधार पर म.प्र. लोक सेवा आयोग में भी खुलकर धन बटोर कर सबको इन्हीं जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर पूरे प्रदेश के सभी विभागों में डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, प्रशासनिक अधिकारी, विक्रय कर में निरीक्षक से लेकर, वाणिज्य उत्तराधिकारी, कृषि, उद्यानिकी, महिला बाल विकास, आबकारी, मतस्य, पंचायतों, पंचायत एवं समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय म.प्र. जल संस्थान, ग्रामीण सांखिकीय सेवासं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पुलिस, न्यायालय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं औषधि निरीक्षकों, नापतौल, श्रम आदि अनेकों विभागों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्तियां कर ली गई हैं।

जब किसी भी विभाग से किसी भी किसी भी अधिकारी का जाति व मूल निवासी प्रमाण पत्र मांगा जात है, तो जवाब में अनेकों विभागों ने लिखकर दिया है कि नियुक्ति के समय म.प्र. लोक सेवा आयोजन को चयनित होने पर किया गया था। उन म.प्र. लोक सेवा आयोग में भ्रष्ट कामचलाऊ कर्मचारियों, अधिकारियों, आयोग के सदस्यों से लेकर अध्यक्ष को तो ऊपरी कमाई होती है तब ही है, जब ऐसे थोक के भाव में इंजीनियरों, डॉक्टरों से लेकर शासकीय विभागों में निरीक्षकों, अधिकारियों की चयन प्रक्रिया में नियुक्तियां होती हैं। इनकी बला से कौन क्या दे रहा है, जितने फर्जी हैं, उतना ज्यादा मोटा माल मिलेगा और वसूली खुले में ली जाकर ही नियुक्तियां की और करवाई जाती हैं। बाकायदा वहां भी दलालों की मौज है, जो लेन-देन की प्रक्रिया निपटाने के लिये चयनित उम्मीदवारों से सौदेबाजी के लिये उनके घरों तक पहुंचकर धन का लेन-देन कर लेते हैं।

यदि ये नहीं होता तो हाल ही कुछ माह पूर्व म.प्र. लोक निर्माण विभाग से मुख्य अभियंता भू गांव कर का जो प्रकरण प्रकाशित हुआ, कैसे हो गया, दूसरी ओर म.प्र. जल संसाधन विभाग में प्रमुख अभियंता पद तक पहुंच गये के.सी. प्रजापति जो रहने वाला होशंगाबाद का था जाति प्रमाण पत्र छतरपुर से बनवाकर इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर सहायक अभियंता से प्रमुख अभियंता तक बन गया। ऐसे ही वर्तमकान में मुख्य अभियंता पद पर बैठा लोक निर्माण विभाग इंदौर का एमपी सिंग रहने वाला कुक्षी धार का जाति प्रमाण पत्र बिलासपुर का वही हाल इसके छोटे भाई सी.पी. सिंग जो पुलिस हाउसिंग भोपाल में है।

ऐसे ही म.प्र. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय का अजय दाहिमा वर्तमान में अधीक्षण यंत्री है। इसका भी जाति प्रमाण पत्र सीहोर का है, जहां यह अनुसूचित जाति में आता है, जबकि रहने वाला इंदौर का है। मानसिक रूप से नौकरी जाने या जांच होने पर पकड़े जाने पर नौकरी छोड़ने के लिये तैयार है। इसलिए इस तैयारी में जहां भी रहा भारी भ्रष्टाचार किया। सन 2003 से सन 2008 तक इंदौर में रहकर इसने खरीदी, सुधरवा में नियम कानूनों को ताक पर रखकर लगभग एक अरब रु. की कमाई की, चूंकि नौकरी जाना निश्चित है इसलिए उस पैसे से एक पाइप फैक्ट्री भी खोल डाली, हर विभाग में 25 से 40% तक ऐसे प्रकरण भरे पड़े हैं। आखिर म.प्र. लोक सेवा आयोग ने नियुक्ति के समय कैसे आंख मींच लाखों रु. वसूलकर उम्मीदवारों की खुलकर नियुक्तियां यही सोच कर दी कि सबको जाति और मूल निवासी प्रमाण पत्र तो उन्हीं के पास हैं। उनकी सच्चाई और भ्रष्टाचार खुल ही नहीं सकता, इसके विपरीत ऐसे सैकड़ों मामले प्रकाश में आये जो ये सिद्ध करते हैं कि नियुक्तियों के समय म.प्र. लोक सेवा आयोग में भी खुलकर धन के लेन-देन के आधार पर ही सारी जालसाजियां संपन्न होती हैं, जबकि जो दस्तावेज म.प्र. लोक सेवा आयोग लेता है। नियुक्तियों के साथ वे सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपियां भी संबंधित विभागों को भेजी जानी चाहिए, जबकि ये म.प्र. लोक सेवा आयोग की कामचलाऊ व्यवस्था ऐसा इसीलिए नहीं करती कि उसकी जालसाजियां प्रकाश में न आ जाएं। दूसरी ओर अनु. जाति, जनजाति के मामले में स्पष्ट लिखा है कि धर्म परिवर्तन होने पर किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, इसके विपरीत वर्मा शर्मा, ठाकुर, वेंद्रे, शाह, मेहता, प्रसाद, राय,चौहान, सिसौदिया, सिंह आदि लगाकर एक तरफ तो अपने अनुसूचित जनजाति, जाति वर्ग में दिखाकर जनधन से छात्रवृत्तियां, पुस्तकें, शिक्षण शुल्क देने से बचते हैं तो दूसरी तरफ अपने आपको सामान्य जाति का बताकर जमाने से रिश्तेदारी दिखाकर उच्च जाति का बतातें हैं। साथ ही नौकरियों में भी आरक्षण का लाभ ले लेते हैं। फिर पदोन्नतियां भी शीघ्र प्राप्त कर अपने साथ के लोगों को ऊंची शिक्षा वरिष्ठता क्रम में भी पीछे धकेलते हैं। जबकि म.प्र. लोकसेवा आयोग का दायित्व है कि आवेदनों को स्वीकारते समय उसकी जाति और मूल निवासी प्रमाण पत्रों का बारीकी से सत्यापन करे। इसके बाद ही उन आवेदकों को प्रवेश फायनल और साक्षात्कार में बुलायें। इसके विपरीत वह आंख मींच कर आवेदकों के फर्जी प्रमाण पत्रों को सही मानकर यह जानकर भी कि उसमें बहुत से फर्जी होते हैं। धन का लेन देन कर सबको जो साक्षात्कार तक पास कर निकल जाते है। नियुक्तियों की साक्ष्य सूची के साथ संबंधित उम्मीदवारों के मूल दस्तावेज जिनके आधार पर नियुक्तियां दी गई संबंधित विभागों को न भेजा जाना मूलतः लेन-देन और जालसाजियों का स्पष्टता स्वयं में ही प्रकट कर देता है।

म.प्र. राज्य कर्मचारी राज्य बीमा सेवा इंदौर मुख्यालय से डॉक्टरों के मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र मांगे गये थे, उन्होंने जाति प्रमाण पत्र की जो छायाप्रतिलिपियां दी उसमें इस स्तर की जालसाजियां की गई हैं जो स्वमेव उम्मीदवार की जालसाजियां प्रगट करती हैं, परन्तु न तो आयोग ने उन्हें रोका और न विभाग ने टोका और सबको नियुक्ति दे दी गई है और वे फर्जी प्रमाण पत्रों के दम पर सारे सत्ता के सुख भोग रहे हैं।

जैसे प्रीति बाला अर्थात ईसाई धर्म अपना लिया था पिता ने ही जब 3-4 पीढ़ी पूर्व से ही ईसाई धर्म का पालन कर रहे हैं, तो मुण्डा जाति अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र क्यों दिया गया जो नायब तहसीलदार शगल द्वारा जारी किया गया है। फिर प्रदीप सिंग पिता का नाम गुरुदया सिंग चौहान मोगिया जाति की अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिया है, अर्थात कोई भी सिंग अपने आपको किसी भी जाति का चाहे जनजाति में अनुसूचित जाति में पैसा देकर या स्कूल वाले छात्रवृत्ति खाने के लिये प्रमाण पत्र फर्जी बनवाकर सारे लाभ दिलवा रहे हैं। डॉ. सी.एस. जायसवाल पुश्तैनी धंधा शराब व्यवसाय ठेके लेना और शराब बेंचना, निवास स्थान करोड़पतियों कॉलोनी विजय नगर सेक्टर नं. ग्वालियर भी क्रीमी लेयर में होने के बाद भी पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नौकरी कर रहे हैं। एक तो नाम पूरा नहीं लिखा गया, दूसरा अगर सचमुच क्रीमी लेयर में नहीं थे, तो स्कूल में ही जाति प्रमाण पत्र लगता है क्यों नहीं लगाया गया अर्थात डॉक्टर बनने के बाद और नौकरी पाने के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाया गया, अधिकांश जाति प्रमाण पत्र स्वमेव प्रमाणित करते हैं। सच्चाईयां, दूसरा मूल निवासी प्रमाण पत्र का सेवा पुस्तिका में न होना मांगने पर किया जाना भी फर्जी होने का पर्याप्त इस संबंध में जाति प्रमाणपत्रों और मूल निवासी के लिए लोक निर्माण विभाग भोपाल, जल संसाधन भोपाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रीकीय के प्रधान सचिवों प्रमुख अभियंताओं से मांगे जाने पर भी भ्रष्ट हरामखोरों ने पत्रों का जवाब समय पर नहीं दिया। लोक निर्माण विभाग देवास में धन जमा करने के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं दिये गये। वहां हाल ही में इंदौर से पदोन्नति का.अ. सुनील जैन पदस्थ हुआ है।

इस संबंध में 4-5 बार कार्यालय में जाने के बाद इस हरामखोर महाधूर्त से मिलने के लिये पर्ची भेजी परन्तु श्री अजमेरा के पहुंचते ही कभी कलेक्टर कार्यालय दौड़ पड़ता है, तो कभी किसी का फोन आने का बहाना बनाकर ये शैतान बात करने लगता है। यही हाल संभागीय आयुक्त कार्यालय इंदौर-उज्जैन से लेकर पूर 14 जिलों के हैं अर्थात चारों तरफ फर्जीवाड़े की धूम है।

केंद्र की वोटों की जालसाजियां

जैन २% से भी कम अल्पसंख्यक

७० प्रतिशत आबादी कर दाता, सभी कानून मानने वाले उच्च शिक्षित, फिर भी लिखा गया कोई लाभ न दिया जाए

राष्ट्र में जैन कुल आबादी के 2% से भी कम है। जैन हिन्दू नहीं पूरा एक धर्म, पूरा एक समुराय है। केंद्र सरकार भी उन्हें अल्पसंख्यक मानती हैं इसके विपरीत उन्हें कहीं काई अल्पसंख्यकों को मिलने वाले लाभ नहीं दिये जाते हैं। इसके विपरीत पूरे देश की कुल आबादी के 70% कर दाता जो सभी प्रकार के कर सिर झुकाकर देते हैं। सभी कानूनों, नियमों को मानते हैं। अधिकांश आबादी व्यावसायिक प्रकृति की होने के कारण 30% आबादी ने सीाी जाति वर्गों के लोगों को कहीं न कहीं अपने उद्योगों, व्यवसायों, व्यापार में अन्य करोड़ों लोगों को रोजगार भी दे रखा है।

पूरे भारत के व्यावसायिक तंत्र और अर्थव्यवस्था में भले ही आबादी 2% से कम हो फिर भी 10% से ज्यादा कर देने और अर्थव्यवस्था, व्यापार, उद्योगों को चलाते हैं। बेशक कोई अंबानी, टाटा और मित्तल तो नहीं फिर भी सहस्त्रों वर्षों से वर्तमान तक कृषकों लघु व्यावसायियों को तत्काल बिना व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हीं जैनों के माध्यम से होती हैं

भारत सरकार भी उन्हें अल्पसंख्यक मानती है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया और स्पष्ट व्यवस्था दी है कि जैनी मतावलंबी हिन्दूओं से अलग पूर्ण संप्रदाय और मतावलंबी पूरा समुदाय है। इसके विपरीत आदिमजाति कल्याण विभाग जो अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्तियां, छात्रावासों में रहने की सुविधायें, उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन आदि में प्रवेश, शासकीय नौकरियों में आरक्षण आदि किसी भी प्रकार की सुविधाओं का कोई लाभ नहीं दिया जाए। आखिर उन्हें किसी प्रकार की सुविधायें क्यों दी जायें क्योंकि जैन समुदाय में 100% शिक्षित, 50% उच्च शिक्षित, सभ्य, सज्जन, कानूनों को सिर झुकार मानने वाले, मनवचन काया से बिलकुल अहिंसक, डरपोक, धर्मप्रिय, हर परेशानी और भ्रष्ट शासकीय, ज्यादतियों को झेलने वाले, सभी पार्टी के गुटों, नेताओं को चंदा बांटने वाले फिर भी बदले में कुछ न मांगने वाले निहायत अहिंसकों, प्रतिकार न करने वालों को क्यों कुछ दिया जाए। दूसरी ओर जैन न केवल पूरे भारत में वरन अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। फिर जहां भी गये हैं। अहिंसा का राज अलापा है। मेहनत और लगन से न केवल अपना परिवार और अन्य अनेकों को रोजगार देकर अपना अस्तित्व स्थापित किया हैं

जिन लोगों को आमजन कंजूस बनिया बोलते है। वह उसकी मितव्ययीता का ही परिणाम होती है जो कम पूंजी, दूरदृष्टि, न्यूनतम साधनों के बाद भी न केवल स्वयं को स्थापित करते हैं वरन जहां भी रहते हैं, अर्थ व्यवस्था में करों का भुगतान कानूनों नियमों का पालन कर सिर झुकाकर न केवल अपनी सेवाएं वरन नेताओं राजनीतिज्ञों को चंदा देकर भी कुछ नहीं मांगते। चाहे वह भारत हो या विश्व के अन्य देश। शायद यही कारण है कि इनकी अहिंसावादिता को नपुंसकता मान उन्हीं के धन पर ये अंग्रेजों की रखैल संतति, जाल साजों ओर सफेदपोश डकैतों का कुनबा जिनके करों के भुगतान के दम पर ऐशोआराम, मौजमस्तियां, लूट, खसोट करता है। उन्हीं को उनके छोटे-मोटे अधिकारों से भी वंचित रखता है। दूसरी ओर इन सत्ताधीशों की कितनी औकात है जो वो जैनों को कुछ दे सकेता। ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी में आरक्षण या जैनों के गरीब बच्चों को छात्रवृत्तियां। ईश्वरीय कृपा है कि 30% जैन शासन की रोजी रोटी पर या उसके अनुदान छूटों पर नहीं अपनी मेहनत पर न केवल पलता है वरन कुल आबादी से कई गुना ज्यादा लोगों को अपने उद्योगों, धंधों में रोजगार देकर रखता हैं बेशक जैन दिगंबरी, श्वेतांबरी, पोरवाल, पोरवाड़, परवार, हूमड़, गुजराती, महाराष्ट्रीयन, अग्रवाल, मारवाड़ी, स्थानक पंथी मूर्ति पूजक, टेरापंथी, बीसपंथियों में न केवल बंटा हुआ है वरन पैसे की अपेक्षा दंभ श्रेष्ठता के अहंकार में फंसा रहकर न तो कभी इक्ट्ठा हो सकता है। जब इक्ट्ठा नहीं हो सकता तो आवाज बुलंद करने की बात तो दूर की कौड़ी है। इस समाज की बात तो दूर अपने ही भाई बंधु सगे रिश्तेदारों को नीचा दिखाने से नहीं चूकता, तो ये शासकीय हश्र तो होगा ही, फिर उच्च शिक्षित इस कोम के साथ यह कहावत ब्राह्मण वाकिया कूकरा जाति देख गुर्राय, इनके पर पूर्णतः चरित्रार्थ होती है। शासन के धूर्त सत्ताधीश इसलिए ही शायद इन्हें इनका हक देने लायक भी नहीं समझते।

अरबों रुपए कमीशन डकार ने बनाया कानून

प्रथम पृष्ठ का शेष

शासन ने इन बहुराष्ट्रीय कं. लाभ की सुरक्षा उनके मिलावट, शाकाहार, मांसाहारी पदार्थों में मिलावटकर बेचने उसमें कृषि पशु कीटनाशकों को मिलाकर पैकेजिंग और लेबेलिंग कर बेचने और परिणाम स्वरूप उपभोक्ता को होने वाली स्वास्थ्यगत हानि, मृत्यु पर दंड से बचाने के लिए खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 को समाप्त कर इस अधिनियम में केवल दंड और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था कर दी है। ताकि इनके हितों पर कोई आंच न आए और ये बहुराष्ट्रीय कं. भारतीय उपभोक्ताओं को कुछ भी खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हुए शासन से व्यवसाय कर सके। धारा 23 खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग और लेबेलिंग के अंतर्गत सभी खाद्य पदार्थों को पूर तरह पैकेट में लेबेल लगाकर ही बेचा जा सकेगा, अर्थात आम सड़क पर बैठा सठजी, पुल, चाय, दूध खाद्यान्न विक्रेता जो देश में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा होंगे, का रोजगार छीनकर उन्हें बेरोजगार बना कर भुखमरी के लिए छोड़ देना ही होगा, इसका सारा लाभ केवल बड़ी बहुराष्ट्रीय कं. को ही मिलेगा। इस प्रकार पूरे देश में उनका ही एकाधिकार होगा। इस प्रकार ये खुले में एकाधिकार व्यापार प्रक्रिया 1970 का न केवल खुला उल्लंघन करेगा। वरन् बाजार में प्रति स्पर्धा लाक व्यवसाय को नष्ट कर सारा खाद्य व्यवसाय इन बहुराष्ट्रीय कं. के हाथों में केंद्रित कर आम उपभोक्ताओं के मुंह से रोटी दाल भी छीन लेगा, इसके फलस्वरूप है। खाद्य वस्तु कई गुना महंगी होगी और दूसरी तरफ बेरोजगारी का तांडव कहर बरपाएगा, जिन 5 करोड़ लघु और मध्यम व्यवसायियों को ये बेरोजगार बनाएगा, उनके परविार जो 20-25 करोड़ होंगे। मुख्यमंत्री की कगार पर ला खड़ा करेगा।

यह अधिनियम सन् 06 से लोकसभा और राज्य सभा में पास होकर लागू होने की राह देख रहा था यदि कांग्रेस सन् 2009 का चुनाव हार जाती तो शायन अन्य कोई भी सरकार इसे लागू करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। बेशक यह कानून विश्व की बड़ी कंपनियों वालमार्ट में डॉनल्ड व अन्य कई विदेशी कंपनियों को भारत बुलाने उनके पैर जमाने उनसे मोटा कमीशन उतारने के लिए विश्व व्यापारी संगठन के तहत इस कानून को बना कर छोटे और मध्यम वर्गीय व्यवसायियों से प्रतिस्पर्धा समाप्त कर उन करोड़ों लोगों को न केवल बेरोजगार करेगा वरन् जिस अंबानी बंधुओं, आईटीसी व अन्य के लिए इसे बनाया गया है। उसमें बेशक देशी मानव शक्ति का हीन केवल उपयोग किया जाएगा। वरन इन देशी श्रमिकों का घोर शोषण भी किया जाएगा। क्योंकि न केवल यह अधिनियम वरन् श्रम कानूनों में भी व्यापक पूरे बदल कर दिये जाते हैं। अब औरतें रात में भी न केवल काल सेंटरों, वरन् पुलिस कंट्रोल रूम, उद्योगों में काम तो करती रही है। साथ ही अपने सहकर्मियों के यौन शोषण का व्यापक शिकार होती है। कृषि जमीनों के लिए भी कानूनों में भारी फेरबदल कर दिये गये हैं। अब किसानों की जमीनों के धड़ल्ले से ये बड़ी कंपनियां पट्टे पर लेकर स्वयं खेती कर 20 ग्राम आलू चिप्स का पैकेट भी रुपए 20 से 25 में बेचती है। आम गरीब, मजदूर वर्ग को महंगी पेकेज्ड सामग्री खरीदता नहीं, अब जबकि एक वस्तु भारी बेरोजगारी होगी, दूसरी तरफ पेकेज्ड सामग्री भारी महंगी होगी तो गरीब ही भूखा मरकर प्राण त्याग देगा, परिवार के साथ आत्महत्या कर लेगा, सरकार इस तरह से गरीबों को ही मिटा देगी, जिन गांवों से नंगे भूखों का आंदोलन शुरू होना था उन्हें नरेगा के नाम से 100 दिन की मजदूरी देकर, सस्ता गेहूं देकर अपना वोट बैंक जिंदा रखने की व्यवस्था कर चुकी है। परन्तु ज्यादा दिन नहीं चलेगा इसके परिणाम स्वरूप अपराध बढ़ेंगे।

पृथ्वी पर हम सब समय माया के वासी हैं
साप्ताहिक समय माया

मर-मर के यात्रा करते हैं हर रोज

सपनि बंद करके, सारे डकैत खुश, जनता परेशान

स.न्या. व केंद्र सरकार सपनि चालू करने का आदेश देती है तो रक्त पिपासु शिवधन का रोना रोता है। दूसरी ओर सपनि की संपत्तियों को बेंच वारे-न्यारे कर रहे

देवास के खातेगांव के पास बागदी नदी के ऊफान में दोनों तरफ वाहनों की भीड़ होने के बाद भी बस तेज बहाव में घुसेड़ दी, और हादसा हो गया। 50 सीट की बस में 110 यात्रि सवार थे। बस बिना परमिट और बीमे के दौड़ रही थी, जिसमें 90 की मौत हो गई, अस्तु यहां तो 90 ही मरे हैं, परन्तु प्रतिदिन प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा यात्री इन निजी बसों में मर-मर के और घुट-घुट कर यात्रा करने के लिए विवश हैं। पर कोई सुनने वाला ही नहीं है। इन बसों में बैठने की जगह मिल भी जाये तो भी जानवरों से ज्यादा बदतर स्थिति में सिकुड़ कर बैठना पड़ता है। इन्हीं से वसूली के लिये इंदौर में पदस्थ आरटीओ आर.आर. त्रिपाठी रु. 5 करोड़ से ज्यादा धन खर्च कर आया है। फिर जिला परिवहन अधिकारी और निरीक्षक को निलंबित कर भोला बना शिव जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक रास्ते के थाना प्रभारियों, संभागायुक्त, उज्जैन को बचा ले गया तो इन अवैध बसों से रु. 10 से 25000 महीना वसूली करते हैं।

आखिर केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी मुख्य मंत्री शिव भोला म.प्र. राज्य परिवहन निगम को शुरू करना क्यों नहीं चाहते। मात्र इसीलिए ताकि सत्ताधीश राक्षसों जिसमें उसके हिस्से के साथ ही परिवहन मंत्री देवड़ा, परिवन सचिव, परिवहन आयुक्त से लेकर संभागयुक्तों, प्रदेश के 50 जिलों के सभी जिलाधीशों, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों से लेकर संबंधित थाना क्षेत्रों को जिले के पुलिस अधीक्षक तक बंटन वाला करोड़ों रु. महीना का बंटना और उसकी पार्टी के, कांग्रेस के छुटभैय्ये नेताओं, पुलिस अधिकारियों की बसों को बिना परमिट और बीमा के बसों से सबाके कमाई होती रहे।

दूसरी तरफ 35 सीट की बसों में 50 सीटें लगा दी जाती हैं, जिसमें 3 सीट पर दो सवारी भी मुश्किल से बैठ पाती है। बस भले ही बिना परमिट की हो या परमिट की, उन बसों का पंजीयन तो आरटीओ ही करता है साथ में फिटनेस और बस की आंतरिक और बाह्य कानूनी आवश्यकताएं तो जिला परिवहन अधिकारी के पास होने ही आती है। उस समय भी रु. 5 से 10 हजार अंदर करके सारे कागजात पूरे कर दिये जाते हैं। फिर सारा काम सेटिंग से चलता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग प्रदेश भर के 30000 से ज्यादा गांवों में कौन देखता है परमिट, बीमा, पुलिस अधीक्षक, जिलाधीश को और साथ में संबंधित थानों को महीना पहुंचाते रहो। काहे का परमिट और बीमा, अब ग्रामीण क्षेत्रों से आने जाने का इन बसों में अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं। जो बस सामने खड़ी होती है यात्री बस में बिना देखे चढ़ जाता है। फिर किसी यात्री ने पूछा भी तो उसे बस के कंडक्टर, ड्रायवर के साथ दो-तीन गुंडों की फौज रहती है,

वो ही चमका देती है। उस पहलवान की है, उस नेता की है,उस टीआई, उस मंत्री की है। ज्यादा बात बढ़ती है तो खुले में कहते हैं कि हमारा कोई कुछ उखाड़-बिगाड़ नहीं लेगा, सबको टुकड़ा डालते हैं।

फिर वे तो कहानी का एक मात्र हिस्सा है। जो हर दिन यात्रियों को जान जोखिम में डालकर, यात्रा करते हुये न केवल बस में चला रहे चालकों, परिचालकों के साथ चल रहे दो चार गुण्डे के मुंह से परेशानी होने पर और शिकायत करने पर सुनने ही पड़ते हैं। साथ ही साथ चल रहे सहयात्री महिला पुरुषों से भी सुनने पड़ते हैं। दूसरी ओर प्रदेश में सैकड़ों बसें ऐसी भी होंगी जो स्कूटरों, मोटरसायकलों, लूनाओं के नंबर से लेकर ट्रकों, मिली बसों, ऑटो के नंबर पर चल रही हैं। यह मामला कई बार कारों, ट्रकों, बसों, में किसी दुर्घटना घटने पर किसी अपराध में लिप्त पाये जाने पर जब उसकी खोजबीन की गई तो मालूम पड़ा कि वह बस, कार, ट्रक, किसी लूना, मोटरसायकल, स्कूटर का था जो वर्षों से खड़ी है या कहीं और चल रही है। यह छोटा मोटा मामला नहीं है। ऐसी पूरे प्रदेश में 10% गाड़ियां हैं। इसके साथ ही दूसरे प्रदेशों में चोरी दिखाकर बीमा वसूल लिया जाता है, फिर उसे म.प्र. में खुले में दौड़ाया जाता है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, केरला, पंजाब की भी 10% गाड़ियां हैं, जिन्हें ये बस ऑपरेटर म.प्र. में वर्षों से दौड़ा रहे हैं। दूसरे प्रदेश में टैक्स जमा की रसीदें दिखाकर म.प्र. को उसका टैक्स भी नहीं दे रहे। 3 वर्ष पहले ऐसा बड़ा काण्ड देवास में चल रही स्कूल बसों में पकड़ा गया था। स्वाभाविक है ऐसे औने-पौने में खरीदी गई बसें या चुराकर लाई गई बसों को भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। संबंधित थानों के टीआई, एसपी, कलेक्टर को पैसा मिल रहा है। सब आंख मूंद कर चल रहा है। बाकायदा पाइप लाइन से पैसा आरटीओ, संभागायुक्त से लेकर परिवहन आयुक्त, सचिव, परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री को पहुंच रहा है। यही कारण है कि ये सारी डकैत लाबी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए म.प्र. सड़क परिवहन निगम का उसके डिपों की जमीनों, कार्यालयों व अन्य परिसंपत्तियों का नामो निशान मिटाकर उन संपत्तियों को भी औने-पौने में बेंच कर करोड़ों रु. डकार चुकी है और डकारने पर तुली है। जब-जब केंद्र सरकार सपनि को चालू करने को कहती है तब-तब मुख्य मंत्री शिव भोला राक्षस जनहित को दरकिनार कर कभी रुपए 25000 करोड़ मांगता है, तो कभी दूसरा रोना रोने लगता है। आखिर उसके डकैतों से जनता को रुलाकर जेब पर डकैती कैसे रोकी जा सकती है। क्योंकि उसकी विधानसभा में बैठे कांग्रेसी और भाजपाई अधिकांश विधायकों की या उनके चेलों की बसें कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में चल रही हैं।

बेशक डिग्गी दानव और उसकी चांडाल चौकड़ी ने अच्छे खासे निगम को 1992 से जो नोंचना खसोटना शुरू किया तो अरबों रुपए खरीदी और ऋणें से निगम का पैसा नोंचकर बर्बाद करने और संपत्तियों का निपटारा शुरू कर दिया था। उसमें सबसे बड़ी भूमिका अदा करने वाले थे परिवहन विभाग का सचिव और सारे प्रदेश के आरटीओ ताकि परमिट के नाम पर करोड़ों की कमाई की व्यवस्था हो सके। बाद में भाजपा जो बड़ा अपने आपको जनता का हितैषी बताती है पूरी तरह से निगम की बची-खुची संपत्तियों डिपो की जमीनें, गाड़ियां, कार्यालय को बेंच-बेंच या अफरा-तफरी कर धन वसूलते रहे।

आखिर जब पूरे देश में राज्यों के सड़क परिवहन निगम चल रहे हैं तो म.प्र. कोई कश्मीर या नेहरू खानदान की रखैल की औलादों के द्वारा तो नहीं चलाया जा रहा जिसे संविधान की धारा 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय की भी नहीं सुनेगा और केंद्र सरकार की भी नहीं सुनेगा। मुख्य मंत्री शिवराज या भाजपा की जागीर तो नहीं है, जो जनता घुट-घुट कर और मर-मर कर इन निजी बसों में यात्रा करती रहे और परिवहन माफिया मनमाना किराया वसूलें और 50 की बस में 110 यात्री बैठाये और बिना परवाह किये बाढ़ आए पुल पर घुसेड़ कर 70-80 की जान ले ले और अपनी जिम्मेदारी टालने के लिए एसपी, कलेक्टर देवास को बचाकर जिला परिवहन अधिकारी और निरीक्षक को निलंबित कर ये डकैतों की फौज अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले। ठीक है जिनकी लाशें मिल गयीं उन्हें एक-एक लाख मुआवजा दे दिया जो 40 अन्य गायब हुए उनका क्या होगा? फिर क्या 1 लाख रुपया के मुआवजे से मां का खोया हुआ बेटा, पत्नियों का पति और बच्चों का मां-बाप तो नहीं मिल जाएंगे। पर राक्षसों को 70 के मरने से मजा नहीं आयेगा उन्हें तो 10-20 हजार लाशों से चैन पड़ेगा। 1500 बसें बिना परमिट की पकड़ी गईं, कितने जिलाधीश, एसपी, आरटीओ निलंबित हुये। कोई नहीं। आखिर करेंगे भी कैसे महीना वसूली कर ऊपर भी तो पहुंचाया जाता है। अपराधी तो पूरी सरकार है। बेहतर ये होगा कि सपनि की जमीनों और संपत्तियों को बेंचना बंद कर उसे पुनः जीवित करने की कार्यवाही शुरू कर मुख्य मंत्री शिव जनता की दुआएं लें।

करोड़ों रुपए का भुगतान खड्डे, फिसलन, बाजारी बनी पहचान

नगर की सड़कें मौत को दे रही दावत

पार्षदों, नेताओं के पट्ठे मालामाल- निगम खजाना बेहाल

इंदौर। नगर के मुख्य बाजारों की सड़कें वर्ष में दो तीन बार तक डामरीकरण और बनाने के नाम पर अकेले इठदौर की 400 से ज्यादा सड़कों पर रुपए एक अरब से ज्यादा खर्च किया जाता है, इसके विपरीत 90 प्रतिशत सड़कें 3 से 4 महीनों में ही वापस अपनी पुरानी अवस्था अर्थात वही गड्डे, सड़कों पर बजरी और बारीक चूरी सड़कों पर पसरने लगती है, जिसके परिणाव स्वरूप चार पहिया वाहन चालक खड्डों से बचाने के चक्कर में दो पहिया वाहन चालकों पर चढ़ जाते हैं, टक्कर मार देते हैं और उनकी जानें भी चली जाती है। जबकि दो पहिया वाहन चालक उस गिट्टी और बारिक बजरी पर मोड़ते या तेज चलाने के चक्कर में उस पर फिसल कर हाथ पैर तुड़वाने और घायल होने से लेकर जान भी गंवा बैठते हैं। आखिर सड़कें बनाने के दो तीन महीनों में ही इस अवस्था में क्यों पहुंच जाती है। इसके मूल कारण में अब सड़कों में नीचे मोटी और ऊपर बारिक गिट्टी की चूरी में मिलाया जाने वाला निम्न स्तरीय इमल्शन जिम्मेदार होता है, अब शहरों में सड़कों के सुधार, गड्डों की भराई और ऊपर परत चढ़ाने में अब तारकोल या डामर का इस्तेमाल महंगा होने के कारण बहुत कम ही किया जाता है। बेशक इन सड़कों के निर्माण सुधार पुर्ननवीनीकरण में इन सबके विपरित सबसे महत्वपूर्ण होता है। मोटा कमीशन जो भ्रष्ट हरामखोर निगमायुक्त से लेकर वहां वर्षों से कुंडली मारे बैठे नगर इंजीनियर हंसकुमार जैन उर्फ पंधाना का हंसु जो वर्तमान में कम से कम इंदौर में पंधाना और खंडवा में रुपए 50 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति का स्वामी इसी बल पर बना है। एन एस तोमर और हरभजनसिंह ये भी रुपए 25 से 50 करोड़ की संपत्तियों के मालिक इसी हरामखोरी के कमीशन से बने हैं को ही इन जांचों में लगा दिया जाता है और ये पुराने शूअर कैसी जांच करते हैंथ पिछले 20 वर्षों के घोटालों की बाद से जनता समझ सके तो है। फिर महापौर, पार्षद, मंत्री, विधायक से लेकर बिल पास करने वाले बाबू और फाइल उठाने वाले चपरासी तक को भी इन ठेकेदारों और सलाहकारों को कमीशन की चाशनी में लपेटना पड़ता है। अब जबकि अधिकांश ठेके गारंटी और निश्चित समय सीमा के हिसाब से दिये जाते हैं तो इन हरामखोर ठेकेदारी पी.डी. अग्रवाल, बी.आर.गोयल, हादवे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से पुराना डकैत अशोका विलकान जैसे तीन के ही कारनामों की सूची।

सलाहकारों को भी करोड़ों

इंदौर में वे 73 सड़कों की देखरेख और गुणवत्ता के लिये सलाहकार टेस्ट लेने एवं कंसलटेंट प्रा. लि. नियुक्ति की थी ताकि सड़कों पर खर्च किये गये धन पर निगरानी और गुणवत्ता स्थापित की जा सके पर इसे करोड़ों रु. का भुगतान कर दिया गया। मुफ्त में जबकि उसने धेलेभर का काम भी नहीं किया और सभी सड़कों पर आंख मींच कर प्रमाणित कर भुगतान करवा दिये गये, जबकि अधिकांश सड़कें तीन-चार माह में ही पुरानी अवस्था में आ गईं। पर इन डकैत कमीशनखोरों महापौर, आयुक्त, इंजीनियरों ने ही उस जुर्म पर कोई कानूनी कार्यवाही की नहीं ऐसे जालसालों को ब्लैक लिस्टेड किया, न ही इस करोड़ों रु. की हानि पर रिकवरी की व्यवस्था की गई। क्योंकि इस सलाहकार फर्म जो मंत्री के पट्ठे की थी। सबसे सलाह विनियम के साथ धन विनिमय भी किया था। यह हाल न केवल इंदौर वरन देवास, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और भोपाल के साथ पूरे प्रदेश की नगरों की सड़कों का है। चाहे वो राजधानी संभाग, जिला स्तर का हो या तहसील स्तर का यहां चुने हुये जनप्रतिनिधियों, पार्षदों, से लेकर अध्यक्ष और महापौर के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुक्त और यहां पदस्थ सारे सुपरवाइजरों से लेकर सहायक कार्यपालन अधीक्षण व मुख्य यंत्री तक चारों तरफ लूट मचाये रहते हैं। आलम ये है कि इन सारे हरामखोर इंजीनियरों को अच्छी तरह मालूम होता है कि हर चुना हुआ प्रतिनिधि टुकड़खोरी करेगा, उसे कानूनों, नियमों से कोई मततलब नहीं, इन्हें कैसे पट्टी पढ़ानी है। 25% का काम 40% बांटने में और 35% तक से लेकर 50% तक नगर पालिकाओं, निगमों में बैठकर खत्म करते रहते हैं। इसीलिए पूरे प्रदेश मे लोक निर्माण, स्वास्थ्य यांत्रिकीय, जलसंसाधन व अन्य विभागों से प्रति नियुक्ति पर आकर यहां जम जाते हैं और खुली डकैतियां कागजी खानापूर्ति करके उल्टे रहते हैं। नगरीय प्रशासन में बैठे मंत्री, सचिव, प्रधान सचिव तक हिस्सेदारी करते डकारते रहते हैं। जनता का पैसा कैसे बर्बाद किया जाता है। धन की कागजी लूट का असली तांडव नगर निगमों और पालिकाओं के हर कार्य में देखा जा सकता है।

साप्ताहिक समय माया
इंदौर, सोमवार 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2010

विक्रेता लूट कर ही तो पुराने, दोषपूर्ण, चलन से बाहर पर ही छूट देकर लूटेगा

त्योहारों की छूट में फंसे न लूट में

लालच में फंसकर समय व धन न गंवायें जो भी खरीदें देख समझकर।

भारत उत्सव प्रिय लोगों का देश है। यही उत्सव प्रियता भारतीय बाजार व्यवस्था की पूरे विश्व में एकमात्र पहचान के साथ सदा हरियाली रूपी, ग्राहक वर्ष भर चलायमान रखता है। पूरे वर्षभर हर महीने कोई न कोई त्योहार है। त्योहारों की खरीदी के लिये ग्राहक बाजार में आयेगा ही और बाजारों में न केवल रौनक वरन बाजारों में व्यवसाय वर्ष भर चलता रहता है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को 1990 तक भारतीय उत्पादक और बाजार भले ही न समझ पाया हो परन्तु विदेशी विशेष रूप से यूरोप और जापान, चीन जैसे देश अच्छी तरह से समझ चुके थे। यही कारण है कि पूरे विश्व में उपभोक्ता वस्तु उत्पादक बहुराष्ट्रीय कं. यथा सोनी, पेनासोनिक, नोकिया, एलजी, सेमसंग से लेकर ऑटो मोबाइल में होंडा, हुण्डई, सुजुकी जैसी अनेकों कं. ने न केवल त्योहारों पर आकर्षक वरन मुहूर्तों जैसे गुरु पुष्य, रतिपुष्य नक्षत्रों तक पर आकर्षक विज्ञापन देकर जिसमें छूट व अन्य सुविधायें पेशकर भारतीय बाजार पर कब्जा जमा लिया। विदेशी कं. जो माल भारत में बेंचती हैं चाहें वो टीवी, सेलफोन, कम्प्यूटर्स, कारों से लेकर मोटर सायकलें, स्कूटर्स, इलेक्ट्रानिक्स आयटमस से लेकर विदेशी शराब, चॉकलेट्स परफ्यूम्स, घड़ियां, कैमरे आदि तक जो विदेशी बाजारों में या तो चलन से बाहर हो गये होते हैं, या होने वाले होते हैं या बिकना बंद हो चुके होते हैं। उनसे बेहतर उत्पाद बाजार में आ जाने पर वह माल भारत में बेचा जाता है या फिर जिस इलेक्ट्रॉनिक से लेकर आटो मोबाइल, इलेक्ट्रिकल्स टीवी, फ्रिज, एसी सब बनाते समय कोई त्रुटि रह जाने से सेकंडस की गुणवत्ता के होते हैं भारत के कचरे घर में छूट के बहाने या तरीके से बेंचकर खुली लूट की जाती है। ये सभी इलेक्ट्रानिक, इलेक्ट्रिकल्स, ऑटोमोबाइल, कम्प्यूटर्स से लेकर बड़ी कंपनियों तक में की जाती है।

भारतीय बाजार में यह सभी प्रकार की उपभोक्ता सामग्री में होता है चाहे वह फर्नीचर, इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ऑटो मोबाइल से लेकर डिब्बा बंद खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ, रेडीमेड गार्मेन्टस से लेकर हर प्रकार की सामग्री में चलन में होता है। यहां भी टाटा, रिलायंस से लेकर, हिन्दुस्तान लीवर या युनिलीवर, नेस्ले, पारले, केडबरी या अन्य हजारों कं. ने बाजार में उपभोक्त सामग्री बेंचती है। त्योहारों पर अपना पुराना समय बाधित, चलन से बाहर त्रुटिपूर्ण, दोषपूर्ण सभी प्रकार की वस्तुओं को छूट के बहाने बेंचकर आम ग्राहकों को लूटती हैं। पर बेचारा ग्राहक समय के अभाव, कानूनी पेचीदगियों, कानूनी दीर्घकालीन प्रक्रियाओं से गुजरने से बचने के चक्कर में 99.99% मामलों में चोट खाकर, लुटेरों के हाथ ठगाकर चुपचाप सह जाता है। जिसका फायदा न केवल देशी वरन विदेशी उत्पादक, विक्रेता भी भरपूर उठाते हैं। इसके विपरीत खाद्य वस्तुओं में माल की गुणवत्ता और भुगतान की कीमत के लिए नगर की नगर पालिकायें और निगमें, व राज्यों के खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य अपमिश्रण निवारण अधित्र 1054 के अंतर्गत जिम्मेदार है परन्तु पूरे देश में यह पूरा विभाग दिल्ली व कश्मीर स ेलेकर कन्याकुमारी तक और मुंबई से लेकर इंफाल और अरुणाचल प्रदेश तक भरी धूर्त लूटेरों की शासकीय वैधानिक फौजियों से भरा हुआ है। जिनका कार्य महीना वसूली से चलता है। पर खाद्य के अतिरिक्त अन्य सभी सामग्रीयों यथा कम्प्यूटर्स और इलेक्ट्रानिक्स से लेकर वस्त्रों, आभूषणों, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, सजावट सामग्री, पायदानों अर्थात चरणपादुकाओं, रसायन सामग्री रहित श्रृंगार सामग्री, पुस्तकों, स्टेशनरी आदि में कोई भी शासकीय गुणवत और कीमत के लिये कोई शासकीय नियंत्रक बंदोबस्त करने वाला कोई विभाग नहीं होने से उपभोक्ता इन सामग्रियों के विक्रेताओं से छूट की लूट में ठगाने के बाद कहीं कोई शिकायत नहीं कर सकता।

त्योहारों विशेष तौर पर दशहरा, दीपावली, पर स्वर्ण, रजत, रत्नों के आभूषणों, सिक्कों, देव मूर्तियों का भारत में सहस्त्रों वर्ष पुराना चलन है। बेशक यह सामग्री धनाढ्‌य वर्ग ही खरीदता है जिसके पास काला धन ज्यादा होता है, गरीब तो बेचारा दो वक्त की रोटी और बच्चों की शिक्षा में ही उलझा रहता है।

सबसे ज्यादा मिलावट स्वर्ण, रजत और रत्न जड़ित आभूषणों में ही होती है।, 20-20 रु. में अमेरिकन, हीरे को भी ये आभूषण विक्रेता कीमती हीरा बताकर लाखों में बेंचने से नहीं चूकते। दूसरी ओर सोना जिसमें 5% मिलावट से लेकर 99% मिलावट, यही हाल चांदी में 10% से लेकर 100% तक मिलावट या जस्ते के सिक्के, आभूषण बेचे जाते हैं। इतिहास गवाह है, कि इस मिलावअ के मामले में विश्व में भारत का कोई सानी नहीं। इन सबके तथ्यों के साथ ग्राहक या क्रेता को किसी भी माल पर हाथ लगाने से पहले सोचना चाहिये कि आखिर दुकानदार या विक्रेता छूट क्यों दे रहा है अपनी जेब से यूं तो कोई लुटायेगा नहीं। ग्राहक से लूटा या लूटेगा फिर है तो दोषपूर्ण, पुराना चलन से बाहर, समय बाधित या बड़े विक्रेताओं या क्रेताओं द्वारा नकारा हुआ माल ही पर छूट देकर लूट की जायेगी।

हाय किसान तेरी यही कहानी- माथे पर कर्ज आंखों में पानी,

कृषि विभाग—स्व कल्याण, स्व विकास

नकली खाद, बीज, कीटनाशक, सब मोटा कमीशन बांटकर अधिकृत हो जाते हैं

म.प्र. शासन का मुख्यमंत्री जनता के पैसे से अपनी प्रशंसा के और किसानों की दिलासा के कितने बड़े-बड़े विज्ञापन छपवाये, मंचों से चिल्लाये कि वो कृषि को लाभ का धंधा बनायेंगे, कृषि विभाक के भ्रष्ट मंत्री सचिव से लेकर जिले के उपसंचालक, सहायक संचालक से लेकर ग्रामीण स्तर पर बैठे कृषि विस्तार अधिकारी तक स्व कल्याण और स्व विकास में लगे हैं। इसके लियो वो स्तरहीन बीजों को भी उच्च स्तर का मोटा करोड़ों में धन डकार कर बीज प्रमाणीकरण संस्था के जालसाज अधिकारियों, निरीक्षकों के साथ मिलकर बाजार से मंडी या अन्य स्थानों से खरीदे बीजों को बीज उत्पादक संस्थायें 'टेग' खरीदकर कागजी कार्यवाही पूरा करते हुए टेडिंग करण कर न केवल किसानों को वरन म.प्र. के कृषि विकास और कृषक कल्याण विभाग में म.प्र. बीज और फार्म विकास निगम को बेचकर आपूर्ति करवा देते हैं।

इस प्रकार से फर्जी बीज उत्पादक संस्थायें अकेले सोयाबीन पर रु. 1500 से रु. 1800/- प्रति क्विंटल का मुनाफा डकार जाती है। इस क्षेत्र में न केवल ग्रामीण बीज उत्पादक सहकारी समितियां, वरन इस देश में बड़ी कार्पोरेशन कं. जैसे ईगल सीड्स से लेकर माहिको, राशि सहकारी ग्रामीण बीज उत्पादक संस्थायें जो अधिकांश जालसाज नेताओं की रिश्तेदारों में हैं। 50%-50% के अनुदान पर चलती है, जो शासकीय अनुदान इन्हें कृषि विकास और कृषक कल्याण से मिलता है वह वहां बैठा उपसंचालक आधा डकार जाता है, तभी उन्हें अनुदान दिया जाता है। पूर्व का देवास का उपसंचालक चौरे 6,7,8,9,10 में ऐसी फर्जी संस्थाओं के माध्यम से हर वर्ष 4 से 6 करोड़ रु. डकार गया इसलिए वो इंदौर में भी आकर ऐसी फर्जी संस्थाओं जो नेताओं, उनके रिश्तेदारों को या इन्हीं शासकीय कर्मचारियों के रिश्तेदारों की है को भी बिना आवश्यक साधनों को भी नई पंजीकरण करने की तैयारी में है। देवास में ऐसी 12-15 संस्थाओं जो पूर्ण रुप से सारा कारेबार और साधनों को जो उनके पास हैं, नहीं केवल कागजों पर ही चला रही है और खुले में मंडी से माल और फसलें जिसमें सोयाबीन, गेहूं, जैसी फसलें हैं, सीधा मंडी से खरीदकर पैक कर रही हैं। जिन्हें बीज प्रमाणीकरण संस्था 72-75% अंकुणण का प्रमाण देता है, वही सारे बीज जब कृषि विभाग की प्रयोगशाला में जांचे तो मालूम पड़ा कि इस बीज प्रमाणीकरण संस्थान के टेग लगे बीजों की थैली में 99% में 42से 45% तक ही अंकुरण पाया गया, वैसे भी बीज प्रमाणीकरण संस्था ऊपर मुख्यालय से लेकर संभाग स्तर और जिला स्तर पर बैठे अधिकांश अधिकारी और निरीक्षक तक में से अधिकांश के पास न तो पूर्ण बीज प्रमाणीकरण अधि. 1985 के अनुसार योग्यता है, न ही विशेषज्ञताः अधिकांश निरीक्षक संस्थाओं और निरीक्षणों की घर बैठ कर ही खानापूर्ति कर कागजी कार्यवाहियां ही संपन्न कर रहे हैं। वेतन, यात्रा भत्ते व अन्य सुविधाओं को भोग रहे हैं।

समय माया समाचार पत्र के प्रधान संपादक श्री अजमेरा और भोपाल के समय माया के प्रतिनिधि श्री एस.के. भारद्वाज द्वारा दिये गये सूचना के अधिकार के आवेदनों का बीज प्रमाणीकरण संस्थान तो ढंग से जवाब दे पाई, न ही इस संस्था में बैठे संचालक ढंग से अपनी योग्यता को प्रमाणित कर सके। जबकि संस्था प्रमुख के लिये एम.एस.सी. कृषि विज्ञान में भी एग्रोनामी के साथ पी.एचडी होना चाहिये, जबकि विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार के.सी. जाटव प्रबंध संचालक और अध्यक्ष श्रीमती रंजना चौधरी जिसका कृषि से दूर-दूरय तक कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, फिर भी दोनों हाथों से भ्रष्टाचार कर धन वसूलना प्रथम आवश्यकता है। प्रामाणिक है किसानों का कैसा कल्याण होगा और कृषि का कैसे विकास होगा। जब बीज ही घटिया स्तर का होगा, तो कितना भी खाद, पानी, कीटनाशक आदि का उपयोग किया जायेगा। हश्र क्या होगा और क्या होना चाहिये।

इस कृषि विभाग का नाम बदल देने से वहां बैठे डकैत, भ्रष्ट अधिकारियों के काम नहीं बदल जाते। फिर जहां शीर्ष पर इंडियन ए.व्यूसिंग सेन के महा भ्रष्ट वसूली करने वाले अधिकारी बैठे हो, तो नीचे के संचालक, उपसंचालक, सह संचालक से लेकर गांवों में बैठे कृषि विस्तार अधिकारी कैसे ईमानदार रहेंगे। उन्हें भी तो ऊपर तक पैसा पहुंचाना है, जब धन आवंटन पर ही लेना देना शुरू हो जायेगा, तो नीचे वालों को भी ऊपर वालों को भी पहुंचाना है। अकेले इंदौर में ही बैठी सहायक संचालक सुमन प्रसाद को 11 वर्ष बीत चुके हैं।

जिसके पास आला में 1.50 करोड़ रुपये का आवंटन खाद्य सुरक्षा मिशन में रु. 1.50 करोड़ का आवंटन महिलाओं की कृषि में भागीदारी में रु. 25 लाख, कृषि में सूचना तकनीकी में रु. 15 लाख का आवंटन प्राप्त होता है। केवल कागजी खानापूर्ति कर अधिकांश पैसा हजम कर जाती है। जिसके घर पर दो बार चोरी हो चुकी है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार हर बार किलों से सोना चोरी हुआ, परन्तु चोरी की रिपोर्ट बस कुछ लाखों में ही लिखवाई गई। दक्षिण भारतीय इस महिला अधिकारी के पास जब इंदौर आई थी तब कुछ नहीं था। वर्तमान में रु. 2 करोड़ से ज्यादा की मालिक है, जबकि इस का पति निजी क्षेत्र में 5-7 हजार की नौकरी करता है। दो-दो मकान है। अनेको बैंकों में सावधि जमायें हैं। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगों तो हर बार चमकाने के लिये हजारों रु. का शुल्क थमा देती है। जानकारी मांगी गई थी कि खाद, बीज दवाओं के कितने डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उत्पादक, पेकर की सूची लायसेंस नं. के साथ पंजीयन रजिस्टर की प्रतियां देवें। सूचना दी गई 1200 लाइसेंस धारियों की 1200 फाइलों में न्यूनतम 42 पन्ने होते हैं। इस हिसाब से 48000 पन्नों के मात्र रु. 96000/- जमा करें, अतः आवेदक करोड़पति हो तो रु. जमा करे अन्यथा जानकारी न मांगे और इसकी सच्चाइयां न जान सकें।

ऐसे ही यहां बैठा सह संचालक जादौन जो धार से पदस्थ हुआ था सन् 2004-05 में इसके पास आहरण वितरण है। खाद, बीज दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण के साथ स्थापना है। मात्र 4 मकानों, 2 प्लांट, रालामंडल के पास कृषि भूमि, 1 मकान में होस्टल, 5 दुकानों का मालिक हैं, पत्रकारों को चमकाता है कि ईओडब्ल्यू में बैठे सिकरवार मेरा रिश्तेदार हैं, लोकायुक्त में मेरी जान पहचान है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है अर्थात बेशक मैं भ्रष्टाचार से धन कमा रहा हूं। यहां आपको बता दें कि स्थापना में भी ये बंदा स्टॉफ से बदसलूकी कर उनकी मनचाही पदस्थापनायें करना, बिलों के भुगतान करना आदि करता रहता है। यहां तक कि अभी नई नियुक्तियों में संचानालय से स्पष्ट आदेश होने के बाद भी उन्हें सांवेर में पदस्थ किया गया।

फिर इंदौर में हर जिलाधिकारी उपसंचालक के रुप में बैठना चाहता है। 200 खाद, बीज, कृषि कीटनाशक विक्रेता को हर वर्ष लायसेंस नवीनीकरण करवाना होता है, प्रत्येक नवीनीकरण में रु. 5000 प्रति वर्ष वसूलते हैं अर्थात रु. 60 करोड़ में से बाबू, सहायक संचालकों को बांटने के बाद रु. 3 करोड़ सूखे बचते हैं। आखिर वर्तमान में पदस्थ उपसंचालक ने भी मोटी चढ़ोत्री मंत्री कुसुमारिया को चढ़ाई तब इंदौर में पदस्थापना हुई, फिर उपसंचालक हर नये लायसेंस पर रु. 20000 लेता है। फिर हर उपसंचालक के पास विभिन्न योजनाओं में रु. 10 से 15 करोड़ जो आता है वो अलग अर्थात इंदौर का उपसंचालक रु. 10 करोड़ तक विभिन्न माध्यमों से एकत्र कर लेता है।

धार से उपसंचालक शशिकांत ऊंटवाल उज्जैन पदस्थ हो गये, इस हरामखोर ने तो किसानों को खुलकर बीटी कॉटन के बीजों को ही प्रति पैकेट रु. 200 से 300 डकार कर रु. 400 का पैकेट 1200 तक में बिकवा दिया था, वर्तमान में पिछले 20 वर्षों में कुछ को छोड़कर कनेरिया यहीं पर उपसंचालक पदस्थ हो गया, इस आदिवासी जिले में अनुदान का ही रु. 5 से 7 करोड़ जिसमें खाद, बीज, दवाईयां दी जाती हैं आसानी से आधे-आधे में डकार लिया जाता है। फिर आला, खाद्य सुरक्षा मिशन, खेत का पानी खेत को बलराम तालाब आदि में भी खुलकर पैसा डकारा जाता है। पूर्व के इंदौर का उपसंचालक अग्रवाल अब देवास में पदस्थ है जो चौरे ने किया था अब अग्रवाल और जो उ.सं. अग्रवाल ने इंदौर में किया था तो अब चौरे इंदौर में करेंगे। अर्थात चारों तरफ जब कृषि विभाग में ऐसे डकैतों को बोलबाला हो तो किसानों को कैसी गुणवत्ता का खाद, बीज और दवाईयां मिल रही होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर 70% किसान पैसे जो वो उदार लेकर खेती में खेत तैयार कर बीज खरीद कर डालता है, खाद डालता है, अच्छी पौधे आने पर दवाईयां डालता है तो मालूम पड़ता है 50% अंकुरण हुआ फिर भी खाद डाला जो कि स्तरहीन, नकली या घटिया, मिलावटी या पौधे ढंग से बढ़ नहीं पाये फल के समय फूल आ रहे थे और समय खत्म हो गया फूल लगा ही नहीं। या अंकुरण ही ढंग से नहीं हुआ, अंकुरण भी ढंग से हुआ खाद भी कारगर रहा तो फसल में कीट लग गया, कीटनाशक नकली, मिलावटी या स्तरहीन ये कीटों का प्रकोप बढ़ता गया और फसल नष्ट हो गई। किसान भारी कर्जदार हो गया, फसल नहीं आई, कैसे घर परिवार चलाये और कैसे कर्ज चुकाये, इन सबके पीछे जो डकैत अपनी वसूली कर आंख मींच कर खाद,बीज, कीटनाशकों के लायसेंस और गुणवत्ता की मोहर लगाते हैं।

जिस पर किसान आंख मींचकर भरोसा कर लेता है, कर्ज में लद जाता है। अंत में आत्महत्या कर मर जाता है। भारत में कृषि ऋण में ऋण से और ऋण को चली जाती है। अंत में हाय कृषक तेरी यही कहानी, सिर पर कर्ज आंखों में पानी, इस कहानी के लिये राज्यों के कृषि विभाग के साथ केन्द्र का कृषि विभाग उसके वैज्ञानिक भी बीटी, जीएम, फसलों के मामलें में अनदेखी वे भी किसानों की और भारत के कृषि फसलों की मूल प्रजातियों की हत्या के भी पूर्ण दोषी हैं।

स्वामित्वाधिकारी, प्रधान संपादक एवं प्रकाशक अजमेरा एस.पी. कुमार के लिए मीडिया वर्ल्ड कम्यु. 299-अंबेडकर नगर, इन्दौर के लिए नवनीत प्रिंटर्स जेल रोड, इन्दौर द्वारा मुद्रित.
भोपाल प्रतिनिधि एस.के. भारद्वाज मो.94256-37958, इन्दौर कार्या. फोन 2530859 मो. 93007-55803